श्रमजीवनी

बिहार में
असंगठित क्षेत्र की महिलाओं
पर विशेष कार्य बल की रिपोर्ट % सार-संक्षेप

सेवा भारत

मई 2014

विशेष कार्य बल के सदस्य

- श्रीमती रेनाना झाबवाला, अध्यक्ष, सेवा भारत, विषेश कार्य बल, *अध्यक्ष*
- डॉ. संजय कुमार, निदेशक, सेवा भारत, विषेश कार्य बल, *संयोजक*
- श्रीमती मिराई चटर्जी, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, सेवा, *सदस्य*
- श्री आर. यू. सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस, मानद सलाहकार, सेवा भारत, *सदस्य*
- श्रीमती रत्ना एम. सुदर्शन, शोधकर्ता, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजूकेशनल प्लैनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनयूईपीए) और पूर्व निदेशक, आईएसएसटी, नई दिल्ली, *सदस्य*
- प्रो. अलख नारायण शर्मा, निदेशक, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, *सदस्य*
- डॉ. डी. एम. दिवाकर, निदेशक, ए. एन. सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, *सदस्य*
- श्री आर. सी. चौधरी, सेवानिवृत्त संयुक्त श्रम आयुक्त, बिहार सरकार, *सदस्य*
- डॉ. अमरकांत सिंह, सेवानिवृत्त संयुक्त श्रम आयुक्त, बिहार सरकार, *सदस्य*

बिहार की
महिला कामगारों
को समर्पित

विषयसूची

दृष्टिकोण		5
1	**महिला रोजगार : विकास में महिलाओं का योगदान**	7
1.1	कृषि क्षेत्र का महिलाकरण	7
1.2	पशुपालन	8
1.3	वन मजदूर	9
1.4	घरखाता कामगार	9
1.5	शहरी कामगार	9
1.6	श्रम कानून	10
1.7	वित्तीय समावेश	10
1.8	शिक्षित बेरोजगार : पिछड़ जाती हैं लड़कियां	12
2	**महिला कौशल्य : कामगारों के लिए कौशल**	13
3	**महिला सांख्यिकी : काम तो वे करती हैं पर गणना नहीं होती**	15
3.1	आंकड़ों में नहीं इसलिए वित्तीय सेवाओं से भी महरूम	16
3.2	स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े	16
4	**महिला स्वास्थ्य**	17
4.1	पेशागत स्वास्थ्य	17
4.2	लिंग अनुपात	17
4.3	मातृक और प्रजनन स्वास्थ्य	18
4.4	जल, स्वच्छता और शहरी आवास	19
4.5	स्वास्थ्य प्रणाली : सार्वजनिक, निजी और सामुदायिक	20
4.6	स्वास्थ्य बीमा	20
4.7	पोषण की स्थिति	21
4.8	सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं : पात्रताओं के आधार पर सहयोग पहुंचाना	21
4.9	आवास	22
5	**महिलाओं के प्रति हिंसा**	25
5.1	हिंसा : महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी बाधा	25
5.2	असुरक्षित स्थितियां	27
5.3	पितृसत्तात्मक मानसिकता	27
5.4	सांगठनिक प्रयास : सशक्तिकरण के लिए एकजुटता	28
6	**सिफारिशें**	29
6.1	महिला श्रम जीवनी आयोग : असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक आयोग	29
6.2	महिला रोजगार : महिला रोजगार को बढ़ावा	29
6.3	महिला कौशल्य	29
6.4	महिला सांख्यिकी : महिलाओं के काम की गणना	30
6.5	आयोग का कार्य : समन्वय और विकेंद्रण	30
6.6	श्रम कानून	31
6.7	वित्तीय समावेश	31
6.8	कौशल	32
6.9	सांख्यिकी	32
6.10	स्वास्थ्य	32
6.11	जल, स्वच्छता और आवास	33
6.12	स्वास्थ्य प्रणाली और अवसंरचना	33
6.13	स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक कार्रवाई	33
6.14	स्वास्थ्य बीमा	33
6.15	हिंसा से सुरक्षा	33
6.16	सांगठनिक प्रयासों को प्रोत्साहन	34
6.17	सरकारी योजनाएं	34
महिलाओं की आवाज : कुछ जमीनी सुझाव		35
आभार		37

बिहार में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं पर विशेष कार्य बल की रिपोर्ट : सार-संक्षेप

दृष्टिकोण

बिहार के असंगठित क्षेत्र की 1.3 करोड़ महिलाएं मेहनती, साहसी, जोखिम उठाने वाली व आत्मपरित्यागी हैं। सामाजिक विकास व आर्थिक समृद्धि में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है फिर भी नीति निर्माताओं व मीडिया दोनों की नजर से वे ओझल हैं। यह रिपोर्ट उन्हें एक कामगार, एक उद्यमी और सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदार के रूप में सामने लाने का एक प्रयास है। इसमें उनके सकारात्मक बिंदुओं व उनके काम में आने वाली बाधाओं का पता लगाकर यह बताया गया है कि कैसे उनकी उत्पादकता,रोजगार के अवसर और आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। उनकी शारीरिक सुरक्षा के खतरों का पता लगाकर उन उपायों को जानने की कोशिश की गई है जिनसे दुनिया को उनके लिए अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। उन सामाजिक कारकों का, जिनके कारण उन्हें जीवनभर संघर्ष करना पड़ता है, पता लगाकर वे उपाय सुझाए गए हैं जिनसे उन्हें बेहतर सामाजिक संरक्षण दिया जा सकता है। अंत में, उन माध्यमों का उल्लेख किया गया है जिनसे सरकार व सामाजिक संगठनों की ओर से उठाए जाने वाले कदमों का सीधा लाभ असंगठित क्षेत्र की महिलाओं तक पहुंच सके और उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके।

इस विशेष कार्यबल रिपोर्ट का लक्ष्य महिला कामगारों को केंद्र में रखते हुए असंगठित क्षेत्र के कामगारों के जीवन व कार्य का निर्धारण करने वाली 'एकदम निचले स्तर' की अर्थव्यवस्था व समाज को आंकना है। आंकड़ों के संग्रह के लिए गणनात्मक व गुणात्मक दोनों प्रणालियों और फील्ड वर्क से मिली जानकारी व सरकारी सर्वेक्षणों के आंकड़ों को एक कर मिश्रित प्रणाली अपनाने का फैसला किया गया। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के उपयोग के पीछे मंशा यह थी कि एक तो कहीं भी कोई विसंगति हुई तो उसका पता सरलता से लग सकेगा, दूसरा एक आंकड़े के निष्कर्ष को दूसरे स्रोत से मिले आंकड़ों के निष्कर्ष से पुष्ट किया जा सकता है।

भले ही इतिहास कभी महिलाओं के नजरिए से नहीं लिखा गया पर यह सभी मानते हैं कि ज्यादातर समाजों के सामाजिक मूल्य ऐसे रहे कि समय के साथ–साथ महिलाओं का दमन बढ़ता गया। उन्हें घर की चारदीवारी के भीतर रख कर उनके पूरे जीवन को कुछ निश्चित व सीमित भूमिकाओं में बांध दिया गया। अधिकतर समाजों में पितृसत्ता ही वह प्रमुख तत्त्व था जिसने महिलाओं को उनके शिक्षा, संपत्ति और यहां तक कि मानवाधिकारों तक से वंचित कर दिया। पर पिछले कुछ दशकों से महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है और पिछले कुछ साल से तो विकास की प्रक्रिया व लक्ष्य दोनों ही महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं।

बिहार में बड़ी संख्या में पुरुष बेहतर रोजगार के लिए अन्य स्थानों पर चले गए हैं पर महिलाएं घरों पर ही हैं और खेत, पशु और परिवार सभी को संभालती हैं। ऐसे में आज राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था खासतौर पर महिलाओं के कंधों पर निर्भर है। गांव की एक महिला अर्थव्यवस्था को आमतौर पर बहुत ही स्थानीय दृष्टिकोण से देखती है। कारण, आमतौर पर वह अपने गांव या जिले से बाहर नहीं जाती है। वह स्थानीय अर्थव्यवस्था को समझ सकती है लेकिन राज्य की अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

उसकी समझ या पहुंच से बाहर है। इसलिए विकास की ऐसी पद्धति जो उसकी आजीविका पर आधारित हो, उसके लिए अवसर बढ़ाने और उनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त होगी। विकास का यह स्थानीय दृष्टिकोण ग्रामीण महिलाओं की ताकत और क्षमताओं पर निर्भर होगा।

ऐसे में बिहार में विकास का वह मार्ग अपनाना लाभकर हो सकता है जिसमें स्थानीय संसाधनों का संवर्धन हो, स्थानीय रोजगार बढ़ें, पर्यावरण सुरक्षित रहे, सामुदायिक संबंध सुदृढ़ हों और जिससे आत्मनिर्भरता व स्व–सहायता को बढ़ावा मिले। ऐसे विकास की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए। इससे स्थानीय विकास एक आर्थिक पद्दति मात्र न होकर जीवन जीने का एक तरीका होगा। यह 'पड़ोसीपन' का एक रूप होगा जिसमें आस–पास के मनुष्य ही नहीं, जानवर और प्रकृति की विभिन्न वस्तुएं जैसे कि पेड़–पौधे, घास के मैदान, झीलें, नदियां सब शामिल होंगे। वस्तुतः इस तरह के पड़ोसीपन में एक गहरी पारस्थितीकीय जागरूकता रहती है जो उपभोक्ता व उत्पादक को एक दूसरे से जोड़ती है।

सेवा की संस्थापक इलाबेन भट्ट ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में कहा था–'समाज के प्रति मेरा दृष्टिकोण यह है कि हमारी छह प्राथमिक जरूरतों–मूलभूत दैनिक भोजन, मकान, कपड़ा, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिग सेवाओं की पूर्ति सौ मील के दायरे में ही हो जानी चाहिए। आजीविका के संसाधनों की संरचना, स्थानीय अर्थव्यवस्था का निर्माण और विश्व को आपूर्ति संबंधी आधारभूत मुद्दों पर विचार हम इसी दृष्टिकोण से करते हैं। स्थानीय उत्पादों की मांग से स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होता है। इससे ग्रामीणों की विविध छिपी हुई क्षमताएं खुलकर सामने आती हैं। जहां तक काम का सवाल है तो इसमें हर व्यक्ति के लिए काम है, हर प्रकार की योग्यता के लिए काम है और हर स्तर का पारिश्रमिक है। फिर हमारे उत्पाद भी जैविक, स्थानीय स्तर पर व स्थानीय कच्चे माल से निर्मित और पुनः इस्तेमाल होने योग्य (पर्यावरणीय) होते हैं। जौ, ज्वार, रागी, बाजरा ये सभी विभिन्न स्थानीय फसलें हैं जो हमारे आहार को संतुलित करती हैं। स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध नहीं हो उसे आज की दुनिया में मौजूद तकनीक व यथोचित ज्ञान की मदद से धीरे–धीरे पैदा किया जाना चाहिए।'

बिहार सरकार जिला स्तर पर विक्रेंद्रित योजनाओं के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उसने पात्रता आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। इस रिपोर्ट की सिफारिशों से स्थानीय स्तर पर विकास संबंधी महिला केंद्रित योजनाओं का निर्माण हो सकेगा।

बिहार की साहसिक कामगार महिला

दुबली-पतली, तीस साल की मंजू प्रसाद एक निर्धन किसान की बेटी है। अपने पिता व भाइयों के साथ वह बदहाली की हालत में जी रही थी। उसकी बाल-उम्र में ही शादी कर दी गई। ससुराल में भी हालात कुछ बेहतर नहीं थे। गुजारे के लिए पति के साथ खेत में काम करने जाती। पर जैसा कि उसका कहना था-'किसानी जिंदगी कभी अच्छे से नहीं निकलती।'

हालात जब ज्यादा खराब हो गए तो मंजू का पति व देवर रोजगार के लिए पंजाब चले गए। वे चार महीने में एक बार घर आते। इस बीच घर-बाहर की देखरेख उसी के जिम्मे थी। उसने अपने खेत में सब्जियां उगाकर उन्हें बेचना शुरू कर दिया। इससे जो आय होती और पति जो पैसा भेजता उसमें से बचत करके उसने एक जोड़ी बैल खरीद लिए। अपने गांव में वह पहली महिला थी जिसने बैलों से अपना खेत जोता। इसके लिए गांव भर में उसकी निंदा भी की गई पर उसने उसे अनसुना कर दिया। उलटे अपने इरादों को और पक्का करते हुए उसने एक बैलगाड़ी भी खरीद ली। चार साल तक वह उसी बैलगाड़ी से बाजार में सब्जियां बेचने जाती रही। साथ ही गेंहू गाहने (थ्रैशिंग) का काम भी करती रही। पर यह उसकी मंजिल नहीं थी। समय के साथ की गई अपनी छोटी-छोटी बचत से उसने एक कंपनी से 18 किस्तों में एक ट्रैक्टर खरीदा। इसके साथ उसने एक चल-आटा चक्की, एक थ्रैशर और एक हारवेस्टर भी जोड़ लिया। अपने गांव में वह इन तीनों उपकरणों से सेवाएं दे रही है। जिसे भी इनमें से किसी की जरूरत होती है उसे बस मंजू का मोबाइल नंबर डायल कर देना होता है। वह कहती है-'यहां से बाजार दूर है। आटा पिसवाने का पैसा वहां भी उतना ही देना पड़ता है इसलिए लोग हमसे ही पिसवाते हैं।'

मंजू को यहां तक पहुंचाने में उसके पति का विषेश योगदान रहा। उसने बताया-'पहले बहुत डर लगता था। हम ना-नुकुर करने लगे तो इन्होंने एक झापड़ मारा और बोले कि सीखना तो तुमको पड़ेगा ही। हम गुस्से में ट्रैक्टर छोड़ कर भाग गए। फिर दूसरे दिन ध्यान से बैठे और चला लिया।---इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया।'

बैल से खेत जोतना या फिर ट्रैक्टर चलाना दोनों ही काम पुरुषों के माने जाते हैं। ऐसे में एक पुरुष प्रधान समाज में इन कामों को हाथ में लेकर मंजू ने अपने लिए कई मुश्किलें भी खड़ी कीं। गांव में उसका भारी विरोध हुआ। पर वह अडिग रही। उसने पूरे आत्मविश्वास से सबको जवाब दिया। फिर धीरे-धीरे लोग उसके साथ खड़े होने लगे, उसके साहस की तारीफ करने लगे। आज मंजू अपने परिवार तक ही सीमित नहीं है। उसकी सोच के दायरे में पूरा गांव है। वह कहती है-'सड़कें, खराब, बिजली नहीं, नालियां नहीं। कुछ भी नहीं है हमारे पास।' उसका हमसे सवाल था-'क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं?'

बिहार के गांव मंजू जैसी महिलाओं से भरे पड़े हैं। उन्हें हमारे सहयोग की जरूरत है। जैसे ही वे समृद्ध होंगीं बिहार भी समृद्ध होगा।

अध्याय 1

महिला रोजगार
विकास में महिलाओं का योगदान

बिहार के लिए आर्थिक विकास काफी अहम है। युवा महिलाओं में से करीब 50 प्रतिशत का इसकी आय में योगदान रहता है। पर इस योगदान को हमेशा अनदेखा कर दिया जाता है। राज्य की असंगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में 1.3 करोड़ महिला कामगार हैं पर उन्हें विकास का लाभार्थी माना जाता है न कि विकास में भागीदार। दरअसल महिलाओं ने अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों के माध्यम से विकास में सभी रूपों में हमेशा से ही सक्रिय योगदान दिया है। कृषि का राज्य के घरेलू उत्पाद में 21 प्रतिशत योगदान है और महिलाएं कृषि में प्रमुख योगदानकर्ता हैं। सेवाओं का लगभग 75 प्रतिशत योगदान है और सेवा क्षेत्र में ज्यादा प्रतिशत शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का है जहां महिलाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति है। इसके अलावा हाल के समय में जीडीपी के विकास में निर्माण क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जहां पूरा परिवार निर्माण और ईंट बनाने, दोनों कामों में लगा रहता है और जिसमें सारे कठिन श्रमसाध्य कार्य महिलाएं करती हैं।

कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की अधिक भागीदारी है। पशुपालन और कृषि में आधी से अधिक कामगार महिलाएं हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और घरेलू या घरखाता उद्योग में भी महिलाएं काफी बड़े अनुपात में हैं।

1.1 कृषि क्षेत्र का महिलाकरण

पिछले पांच दशकों में बिहार से पुरुषों के पलायन की ऊंची दर के कारण पारिवारिक खेती का जिम्मा महिलाओं के कंधों पर आ गया है। आईएचडी अध्ययन ने पाया कि कृषि क्षेत्र में काम कर रही 70 प्रतिशत महिलाएं प्रवासी परिवारों से थीं। पुरुषों के परदेस चले जाने से महिलाओं पर घर की जिम्मेदारियां वैसे

ग्रामीण बिहार में महिला कामगार बहुल व्यवसाय, 2011

व्यवसाय	% कामगारों में महिलाओं का प्रतिषत
पशुपालन	79.5
आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं (एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, आशा,आदि)	51.6
वार्षिक या छमाही फसलों की खेती	50.1
निम्न स्तर के प्रशासनिक कार्य	29.6
शिक्षण	24.1
निजी सेवाएं	19.8
सेल्स वर्कर	16.1
लघु घरेलू उद्योग (पापड़, बीड़ी आदि) *(हो सकता है इस क्षेत्र में महिलाओं की कुछ कम गणना की गई हो)*	14.4
ईंट बनाना	13.3
कुल	36.6

स्रोत : आईएचडी अध्ययन, 2011.

ही बहुत बढ़ जाती हैं पर कई जगह हमने पाया कि कृषि उत्पाद बेचने के लिए मंडी जाने से लेकर वे अन्य कई नई भूमिकाएं बखूबी निभा रही हैं। *बिहार में कृषि क्षेत्र में कार्यरत कामगारों में आधी महिलाएं हैं। इससे 'कृषि के महिलाकरण' के सिद्धांत को बल मिलता है।*

फिर भी, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को बहुत कम मान्यता मिलती है और कृषि नीतियों और कार्यक्रमों से उन्हें बाहर ही रखा जाता है। महिलाओं के काम को उतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी पुरुषों के काम को। मजदूर के रूप में उनकी आमदनी भी कम है। कृषि मजदूर के रूप में काम करनेवाली महिलाओं को पुरुषों की मजदूरी का लगभग 60 प्रतिशत मिलता है, आंशिक रूप से इसलिए कि पुरुष अधिक मजदूरी वाले कार्यों जैसे सिंचाई और कटाई में अधिक जुड़े होते हैं जबकि महिलांए निराई, रोपाई और सिर पर ढुलाई का काम करती हैं। भुगतान नकदी और वस्तु के मिलेजुले रूप में, दैनिक दरों या पीस–दरों के हिसाब से किया जाता है।

पर अब इसमें बदलाव आ रहा है। महिलाएं अब 'पुरुषों का काम' करने लगी हैं जैसे खेतों की जुताई, विपणन, सिंचाई और समग्र प्रबंधन। वे ट्रैक्टर भी चलाती हैं। महिलाओं के इन्हीं कार्यों को प्रोत्साहित और संवर्धित किए जाने की जरूरत है।

1.2 पशुपालन

पशुपालन में कुल श्रमशक्ति का लगभग 80 प्रतिशत महिलाएं हैं और इसलिए यह महिला प्रधान पेशा है। यह निर्धनतम लोगों के लिए 'टिकाऊ उद्यम' का रूप माना जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के 12 प्रतिशत योगदान के मुकाबले पशुपालन का योगदान 3.4 प्रतिशत है। कृषि उत्पाद के समान ही गायों/भैसों के दूध का कुछ भाग घरेलू खपत के लिए रखा जाता है और बाकी दूध को स्थानीय रूप से बेचा जाता है। जहां कहीं भी सुधा कोऑपरेटिव मौजूद है उसने परिवारों को अपने केंद्रों से जोड़ने का प्रयास किया है ताकि वे दूध का सुनिश्चित मूल्य प्राप्त कर सकें।

पशुपालन में काम

समय	काम के प्रकार
सुबह 4–6 बजे	सफाई, मवेशियों को चारा खिलाना
सुबह 7–8 बजे	दूध दुहना
दोपहर 12–1 बजे	गोयठा (उपले) ठोंकना
दोपहर बाद 3–4 बजे	चारा एकत्र करना
शाम 5–6 बजे	चारा खिलाना, दूध दुहना
शाम 6–8 बजे	दूध बेचना

स्रोत : सेवा अध्ययन, मुजफ्फरपुर।

खेतिहर महिला मजदूरों की आमदनी

जिला	काम के प्रकार		
	रोपणी	सोहनी	कटनी
गया	60–100 रु.	3 किलो अनाज	1:12*
पश्चिम चंपारण	50–70 रु.	30–40 रु.	6 किलो अनाज
पटना	70–80 रु.	40 रु.	1:12/1:16*
भागलपुर	50–60 व खाना	50–60 + सत्तू**	1:12/1:16*
पूर्णिया	60 रु. + नाश्ता + दो वक्त का भोजन	60 रु. + नाश्ता + दो वक्त का भोजन**	1:12 व भोजन
मुजफ्फरपुर	150 रु.	60 + भोजन**	1:10
रोहतास-कैमूर	60.70 रु.	70 रु.**	1:12/1:16*
सीतामढ़ी	120.150 रु.	45.50	1:12/1:16*
जमुई	100 + भोजन	80 + भोजन**	1:12/1:16*

स्त्रोत : महिलाओं की आवाज़, सेवा अध्ययन।
*मालिक की निगरानी में फसल की 12 गांठे बनाने पर महिला मजदूरों को एक गांठ दी जाती है। यही गांठे अगर वे खुद बनाती हैं तो 16 गांठों पर उन्हें एक गांठ ही दी जाती है। ** जब सोहणी एक दिन में आठ घंटे की जाती है।

1.3 वन मजदूर

वनवासियों की प्रवृत्ति प्रकृति के साथ सहजीवी संबंध रखने की होती है जैसाकि जमुई की कुछ महिलाएं कहती हैं, 'हमारे देवता (पहाड़ी बाबा) जंगल में रहते हैं।' वे कुछ अपने उपभोग के लिए और कुछ बिक्री के लिए जलावन, महुआ, तेंदु पत्ता, दातून, चिरौंजी सहित छोटे–मोटे वन्य उत्पाद एकत्र करती हैं। उनकी आय 30–60 रुपए प्रतिदिन होती है। यहां वन अधिकार अधिनियम का अभी भी क्रिर्यान्वयन नहीं किया गया है। अगर इसे लागू कर दिया जाए तो इससे वनवासियों की आमदनी और उत्पादकता दोनों बढ़ सकती है।

1.4 घरखाता कामगार

पारंपरिक हस्त व शिल्प कौशल बिहार में जहां–तहां बिखरा पड़ा है और ऐसा है कि उसकी सानी नहीं। मिथिला पेंटिंग, सिक्की और बांस के उत्पाद, सुजनी कसीदाकारी, सभी प्रकार की खादी, टसर रेशम उत्पादन, ऊन की कताई और बुनाई, सूती कपड़े की बुनाई, जूट के उत्पाद व लाख के उत्पाद ये सभी बिहार का गौरव हैं पर इन कलाओं को सदियों से एक से दूसरी पीढ़ी को सौंप कर आज तक जीवित रखने का काम गांवों–कस्बों में समूहों में मौजूद शिल्पकारों ने किया है। ये अपने घरों में बैठकर माल तैयार करते हैं और बाजार में जाकर बेच देते हैं।

पर ऐसा लगता है कि कुछ घरखाता स्वाश्रयी शिल्प कार्यों में ग्राहकों की पसंद, प्रौद्योगिकी और बाजार की अन्य स्थितियों के कारण गिरावट आ रही है जैसे कि भेड़ की ऊन से बने कंबल और जूट कार्पेट की बुनाई का काम। इससे इन कामों में लगे परिवारों के पुरुष पलायन को मजबूर हुए हैं। अन्य कार्य कई महिलाओं के लिए आजीविका का स्रोत बने हुए हैं जिसमें बुनाई, दुपट्टा बनाना, सिक्की, सुजनी और पेंटिंग शामिल हैं। मधुबनी अथवा मिथिला पेंटिंग को अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा प्रोत्साहन दिया गया है। सरकार द्वारा इसका जबर्दस्त संवर्धन किए जाने से इस पारंपरिक शिल्प का अनूठा कार्य और व्यापार संगठन है। फिर भी इन शिल्पकारों के बीच सहकारिता को अभी अपने पांव जमाने हैं। ज्यादातर हस्त शिल्प कौशल को किसी भी प्रकार का संरक्षण नही मिलने के कारण इन गतिविधियों से प्राप्त आय बहुत कम है। मात्र 30–35 रुपए प्रति दिन से 50–60 रुपए प्रतिदिन के बीच। पर इनमें से कई ऐसे कौशल हैं जिन्हें व्यवहार्य पेशा बनाने में मदद की जा सकती है।

बिहार में ठेकेदारों से पीस दर पर घर से काम करने की परंपरा काफी व्यापक है। घरखाता काम के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक बीड़ी बनाना है। बीड़ी कामगार औसतन 1000 बीड़ी प्रति दिन बना लेते हैं । सेवा ने अपने क्षेत्रीय अध्ययन में पाया कि इसकी मजदूरी 30 रुपए प्रति हजार बीड़ी से 60 रुपए प्रति हजार बीड़ी थी। बीड़ी बनाने के समान ही अगरबत्ती बनाने का काम काफी व्यापक है और आमतौर पर केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। यहां भी मजदूरी में काफी अंतर था, हालांकि यह उद्योग विकास कर रहा है। दुर्भाग्यवश, इस प्रकार के पीस दर वाले कई उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी का यथार्थ से कोई खास संबंध नहीं है। श्रम विभाग का एक महत्वपूर्ण काम ऐसे उद्योगों की पड़ताल करना और त्रिपक्षीय परामर्श द्वारा यथार्थपरक मजदूरी तय करना होगा जिसे सख्ती से लागू किया जा सके।

1.5 शहरी कामगार

शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों में सबसे ज्यादा महिलाऐं घर से काम करनेवाली हैं। आर्थिक गतिविधियों के रूप में घर से किया जाने वाला काम महिला का अपना भी हो सकता है, वह उसे उप–ठेके पर ले सकती है या फिर घर व सेंटर दोनों जगह से उसे किया जा सकता है। घरखाता काम से एक महिला एक दिन में 30–35 रुपए से 90–100 रुपए तक कमा लेती है। पर पूरा महीना काम मिले ही, यह जरूरी नहीं। कुछ काम ऐसे हैं जो उप–ठेके पर होते हैं और इनमें सालभर काम मिलता है जैसे कि अगरबत्ती बनाना, आल्ता, मेहंदी कोन, डोरी, डस्टर व सैंडल की पट्टियां बनाना। सूप व टोकरी बनाने का काम स्वरोजगार में आता है। एप्लीक, टिकुली कला व अगरबत्ती बॉक्स बनाने का काम केंद्र व घर पर दोनों जगह किया जाता है।

अधिकांश परिवार एक या दो कमरों के मकानों में रहते हैं जहां शौचालय, पानी के नल और बिजली की सुविधा नहीं होती है। ऐसे में काम के सामान को साफ और सुरक्षित रखना चुनौतीपूर्ण होता है। घर में मूलभत सुविधाएं न होने से महिलाओं का स्वास्थ्य प्रभावित होता है और प्रकारांतर से उनकी उत्पादकता प्रभावित होती है। उनका बहुत अधिक समय पानी लाने में या शौचालय के लिए दूर जाने में बीतता है जिससे पुनः उनकी उत्पादकता में कमी आती है और आय घटती है। साथ ही उन्हें असुरक्षित परिवेश का सामना भी करना पड़ता है।

एसपीयूआर रिपोर्ट में चुनिंदा शहरों के लिए फेरी विक्रेताओं का अनुमान दिया गया है। लगभग 25 प्रतिशत फेरी विक्रेता महिलाएं हैं। अधिकांश फेरी विक्रेता फल, सब्जियां या खाद्य पदार्थ और अन्य मछली, कपड़े और विविध वस्तुएं बेचते हैं। फेरी विक्रेताओं को सुरक्षा प्रदान करने ओर विनियमन करनेवाली राष्ट्रीय नीति को बिहार में कार्यान्वित नहीं किया गया है।

वैसे तो दूसरों के घरों में काम महिलाएं हमेशा से ही करती रही हैं पर बिहार में अब इसका प्रचलन बढ़ रहा है। राष्ट्रीय घरेलू कामगार आंदोलन, बिहार क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए एक अनुमान के अनुसार बिहार में 15000 से अधिक घरेलू कामगार

हैं। परन्तु इनकी संख्या वास्तव में ज्यादा होगी। घरेलू कामगारों के काम के घंटे आठ से 18 हो सकते हैं और मजदूरी, छुट्टी की सुविधाएं, चिकित्सा लाभ, और आराम का समय नियोक्ता की मर्जी पर निर्भर करता है। कइयों को सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। निर्धनतम शहरी कामगार कचरा बीनने वाले हैं जो महादलित समुदाय से हैं। वे कचरे में से और गलियों में से प्लास्टिक, कागज, शीशे के टुकड़े आदि बीनते हैं और इन्हें 'कबाड़ी' को बेचते हैं। अधिकांश शहरों में वे ही मुख्य 'पुनर्चक्रणकर्ता' हैं। उनकी आय औसतन 1500 रुपए से 3000 रुपए प्रतिमाह के बीच होती है।

इन शहरी कामों में से कई तो आवश्यक या कहें कि शहर की मूलभूत सेवाओं में से हैं पर नगरपालिकाएं इन कामों को करने वालों के साथ न केवल भेदभाव करती है, उनकी शहर में मौजूदगी को गैर–कानूनी तक ठहरा देती हैं।

1.6 श्रम कानून

बहुत सारे श्रम कानून मौजूद हैं लेकिन असंगठित क्षेत्र की अधिकांश महिलाएं उनका लाभ नहीं ले पाती हैं। कई कानून ऐसे हैं जिनकी समुचित व्याख्या और कार्यान्वयन से ये महिला कामगारों के लिए लाभकारी हो सकते हैं।

देश भर में सन्निर्माण कामगार अधिनियम का कार्यान्वयन नहीं किए जाने का मामला सबसे अधिक विस्मयकारी है। इस अधिनियम के तहत सभी भवन निर्माण गतिविधियों पर एक उपकर लगाया गया है जिससे एक निधि का निर्माण किया जाता है और इसका उपयोग उस राज्य के केवल निर्माण कामगारों के कल्याण के लिए किया जाना होता है। आश्चर्य की बात है कि हर राज्य ने इस मद पर सैंकड़ों करोड़ रुपए एकत्र किए हैं जोकि सरकारों के पास पड़े हैं लेकिन उनका उपयोग निर्माण कामगारों के कल्याण के लिए नहीं किया जा रहा है। जनवरी 2014 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य ने सन्निर्माण कामगार कल्याण निधि में 144 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं जिसमें से 5 प्रतिशत से भी कम राशि खर्च की गई है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सामाजिक कानून के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि मजदूरों की आमदनी उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। लेकिन व्यवहार में अदा की गई वास्तविक मजदूरी सांविधिक न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 151 रुपए प्रति 1000 बीड़ी है लेकिन अध्ययन में पाया गया कि मजूदरी क्रमशः 30 रुपए प्रति 1000 बीड़ी से 60 रुपए प्रति 1000 बीड़ी के बीच थी।

कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निराकरण) अधिनियम 2013 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम कर रही उन महिलाओं की मदद करना है जिन्हें कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। घरेलू कामगार, ईंट भट्टा मजदूर, निर्माण कामगार, कृषि मजदूर आदि सभी कभी न कभी कार्य स्थल पर यौन हिंसा की शिकार होती हैं। यहां तक कि किसी–किसी से तो बलात्कार भी कर लिया जाता है। लेकिन इस प्रकार के यौन उत्पीड़न का मामला बहुत कम दर्ज होता है। ज्यादातर महिलाएं इसे चुपचाप सहन करती हैं क्योंकि एक तो वे हालात से लाचार होती हैं, दूसरा उन्हें पैसे की सख्त जरूरत होती है। बिहार सरकार ने इस अधिनियम को अभी तक अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए लागू नहीं किया है।

बिहार के श्रम विभाग की कुछ काफी प्रभावी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं जैसे अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर योजना और बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना। इन योजनाओं और इस प्रकार की अन्य योजनाओं को एक अधिनियम के अंतर्गत लाने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने *बिहार असंगठित और प्रवासी कामगार कल्याण विधेयक, 2014* को अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया है जिससे बड़े पैमाने पर कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सकेगा। इसका प्रबंधन विकेंद्रित तरीके से कामगार सुविधा केंद्रों के जरिए किया जाएगा।

1.7 वित्तीय समावेश

गरीब महिलाओं को वित्तीय मुख्यधारा का हिस्सा बनाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि उनके पासः

- बचत करने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है इसलिए वे किसी प्रकार की बचत नहीं कर पाती हैं।
- उधार के लिए महाजनों के पास जाना पड़ता है जिससे उन्हें अधिक ब्याज देना पड़ता है।
- राज्य के बाहर काम कर रहे पुरुषों द्वारा रकम बिचौलिए के माध्यम से भेजी जाती है, जिसके लिए परिवार को 20 प्रतिशत या अधिक कमीशन का भुगतान करना पड़ता है। फिर भी धोखाधड़ी से उनकी पूरी आमदनी खोने का खतरा बना रहता है।
- बीमा नहीं होने से परिवार में बीमारी या किसी सदस्य की असमय मौत से उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। कभी–कभी कर्ज तक लेना पड़ता है। जिससे वे गरीबी से कभी उभर ही नहीं पातीं।
- वृद्धावस्था में पेंशन या अन्य किसी वित्तीय सहायता के अभाव में जीवन जीना ही दूभर हो जाता है।
- सरकारी कार्यक्रम तक पहुंचने में असमर्थ होने के कारण सामाजिक सुरक्षा संबंधी सरकारी सेवाएं–सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल पातीं।

बचत : चूहों ने कुतरी, बैंक ने बचाई

पटना में रह रही रमादेवी एक घरेलू नौकरानी है। उसका पति रिक्शा चलाता है। पर अक्सर बीमार रहता है। ज्यादातर कमाई दवाइयों में ही खर्च हो जाती है। फिर भी रमादेवी हर महीने दो सौ रुपए बचाने की कोशिश करती थी। वह अपने पैसे एक कपड़े में छुपाकर छत के एक कोने में रख देती। इस तरह उसने कुल दो हजार रुपए जमा कर लिए। फिर एक दिन उसने कपड़ा खोला तो देखा चूहों ने कई नोट कुतर दिए हैं। उसकी सारी बचत नष्ट हो गई। दुखी मन वह अपनी मालकिन के सामने फूट फूट कर रोई। मालकिन ने उसे बैंक खाता खोलने की सलाह दी। इस काम में उसकी मदद भी की। फिर भी खाता खुलने में छह महीने लग गए क्योंकि रमा के पास निवास का कोई सबूत नहीं था। पर उसने हार नहीं मानी। अंततः खाता खुला और आज हर महीने वह दो सौ रुपए चालू खाते में जमा कराती है।

गरीब महिलाएं खासतौर से वित्तीय क्षेत्रों से बाहर हैं। उनके पास न तो पहचान पत्र है न उनकी कोई स्वतंत्र पहचान है। इसलिए बैंकों द्वारा अपेक्षित *नो योर कस्टमर* (केवाईसी) मानकों को पूरा करना उनके लिए कठिन होता है। उनके पास शायद ही कोई परिसंपत्ति जैसे जमीन या घर होता है इसलिए कर्ज लेना उनके लिए करीब–करीब असंभव होता है। वित्तीय सुविधाओं से वंचित रखने का अर्थ समाज में उन्हें कमजोर बनाए रखना है।

गरीबों के वित्तीय समावेशन के कई संभावित मार्ग हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अपेक्षित संख्या में उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। इनमें बैंक, खासतौर पर शून्य धनराशि वाले (नो–फ्रिल्स) खाते व डाकघर प्रमुख हैं क्योंकि अधिकांश गांववासियों का डाकघरों से कुछ न कुछ साबका पड़ता है। राज्य में स्व सहायता समूहों का तेजी से विस्तार हो रहा है। महिलाओं तक पहुंचने का यह एक अन्य तरीका है। इसी प्रकार विभिन्न सहकारी समितियां हैं। गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों का भी राज्य में प्रसार हुआ है जो जल्दी और आसान शर्तों पर कर्ज देती हैं।

कुल मिलाकर बिहार एक ऐसा राज्य है जहां वित्तीय प्रणालियों का कम प्रसार हुआ है। भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के बावजूद देश में कुल बैंक शाखाओं की संख्या में बिहार का हिस्सा पिछले कुछ वर्षों से पांच प्रतिशत से थोड़े कम स्तर पर बना हुआ है।

हालांकि असंगठित क्षेत्र में बचत के जरिए एकत्र धनराशि की मात्रा का सही–सही आकलन करना संभव नहीं है फिर भी अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि गरीब भी छोटी–छोटी बचत करते हैं। यदि उनकी बचत की मांग औपचारिक वित्तीय मध्यस्थ के माध्यम से पूरी की जाती है जहां वे अपनी बचत अपनी सुविधानुसार जमा कर सकें तो उन्हें इसका काफी लाभ हो सकता है।

असंगठित क्षेत्र की अधिकांश महिलाओं को अपने जीवन में अक्सर कर्ज की आवश्यकता होती है। लेकिन वित्तीय संस्थाओं से उन्हें शायद ही कभी कर्ज मिल पाता है। बिहार में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग के सहयोग से बिहार के चार जिलों में प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया था।[1] इसकी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए कर्ज का प्रमुख स्रोत महाजन था। मात्र चार प्रतिशत ने बैंकों से व सात प्रतिशत ने गैर सरकारी संगठन व स्व–सहायता समूह से कर्ज लिया। बाकी 61 प्रतिशत महिलाओं ने महाजन से असुरक्षित कर्ज लिया और 18.4 प्रतिशत ने बदले में अपनी जमीन या संपत्ति गिरवी रखी।

स्व सहायता समूह ने दी नखो को सम्मानित जिंदगी

मुंगेर जिले के बरियारपुर ब्लाक की नखो देवी की जिंदगी कभी भी आसान नहीं थी। छह बच्चों की गृहस्थी को चलाने के लिए पति सुबह अंधेरे में ही मछलियां पकड़ने के लिए गंगा चला जाता। नखों सुबह से ही वे मछलियां बेचने के लिए बाजार पहुंच जाती। फिर भी घर खर्च पूरा नहीं होता। एक बार पति ने महाजन से हर महीने पांच प्रतिशत की ब्याज दर से दो हजार रुपए का कर्ज ले लिया। इसे वह समय पर चुका नहीं पाया तो महाजन ने सरेआम उसे बेइज्जत किया। यहां तक कि कर्ज के एवज में पत्नी को दो-चार दिन के लिए उसके पास भेज देने के लिए कहा। नखो तभी एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनी थी। उसकी साथिनों ने मिलकर महाजन के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखते ही देखते तीन चार दूसरे स्वं सहायता समूह वहां पहुंच गए और नखो के समूह को कर्ज दे दिया ताकि वह महाजन का कर्ज चुकाने के लिए नखो को कर्ज दे सके।

[1] *बिहार में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी–स्थिति रिपोर्ट*, इक्विटी फाउंडेशान, सामाजिक–आर्थिक अनुसंधान प्रभाग, योजना आयोग, भारत सरकार के सहयोग से चार जिलों किशानगंज, मधुबनी, वैशाली और पूर्वी चंपारण का अध्ययन।

असंगठित क्षेत्र वित्तीय सेवाएं देने वाली संस्थाओं के लिए संभावनाओं के काफी बड़े क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। इसमें कर्ज की कुल मांग 6,700 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है। स्व सहायता समूह भी इस रूप में उभर रहे हैं कि गरीब महिलाएं उनसे वित्तीय सेवाएं प्राप्त कर सकें। सेवा सहित कई गैर सरकारी संगठनों ने स्वयं सहायता समूहों का संवर्धन किया है लेकिन उसमें सबसे उल्लेखनीय प्रगति सरकार की ओर से हुई है। नीचे दिए गए एक उदाहरण से यह अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि कैसे स्व सहायता समूह वित्तीय समावेशन का काम कर महिलाओं को मुख्यधारा से तो जोड़ते ही हैं उन्हें संगठित और सशक्त होने में मदद करते हैं।

1.8 शिक्षित बेरोजगारः पिछड़ जाती हैं लड़कियां

राज्य में शिक्षा के प्रसार से महिलाओं के बीच आकांक्षाएं बढ़ी हैं और वे सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करने लगी हैं लेकिन उन्हें उपयुक्त रोजगार नहीं मिलता है। बेरोजगारी की उच्च दर में यह झलकता भी है। शिक्षित युवाओं (सेकंडरी और इससे अधिक शिक्षित) में बेरोजगारी की कुल दर महिलाओं में 55.3 प्रतिशत और पुरुषों में 10.1 प्रतिशत थी।

युवतियों के लिए प्रशिक्षण की कमी

खारिक प्रखंड के तुलसीपुर गांव में सेवा की टीम कुछ युवतियों से मिली। उन्होंने काफी उत्साह से कहा कि वे 12वीं के बाद कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराना चाहती हैं। उनके गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जहां वे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। साथ ही परिवार के लोग उन्हें दूर जाकर आगे और पढ़ाई करने की अनुमति नहीं देते हैं। पर वे कोई प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती हैं जिससे रोजगार मिल सके।

महिलाओं में उच्च बेरोजगारी इस वजह से है कि युवक रोजगार की तलाश में दूर जा सकते हैं जबकि युवतियों को नजदीक में काम खोजने की आवश्यकता होती है। नियमित वेतन और काम की सुरक्षा सुनिश्चित होने के कारण वे स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर ढूंढती हैं। आशा कार्यकर्ता एक अच्छा रोजगार माना जा रहा है। वे स्वरोजगार के बेहतर अवसर जैसे ब्यूटी केयर, कम्प्यूटर्स, ट्यूशन आदि की तलाश करती हैं। साथ ही वे सेवा उद्योग या कार्यालयों में रोजगार खोजती हैं।

अध्याय 2

महिला कौशल्य
कामगारों के लिए कौशल

स्कूली शिक्षा के अलावा कौशल के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं की कमी भारत में एक बड़ी समस्या है। 10 वीं या 12वीं उत्तीर्ण करके निकलने वाली लड़कियां रोजगार या स्वरोजगार के लिए पूरी तरह योग्य नहीं होती हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी भारत के युवाओं के लिए एक बड़ी बाधा है। 2004–05 में 15–29 वर्ष के आयु समूह में रोजगार की तलाश में लगे 25 करोड़ 70 लाख भारतीयों में से केवल दो करोड़ 80 लाख ने ही किसी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इन युवाओं में से केवल 90 लाख ने ही प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। यानी अन्य अपनी पुरानी पीढ़ी या घर के सदस्यों से अनौपचारिक कौशल प्राप्त करते हैं। बिहार में रोजगार की तलाश करनेवाली प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या और भी कम है।[2]

कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं का खासतौर पर युवतियों के प्रशिक्षण के लिए, विस्तार किया जाना है। सफल प्रशिक्षण जिससे रोजगार या स्वरोजगार मिले सके उनमें कम्प्यूटर्स, वित्तीय कौशल, वस्त्र निर्माण, ब्यूटी केअर, स्वास्थ्य सहायक और पैरानर्सेस्, ट्यूटर्स और शिक्षक आदि शामिल हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम स्थानीय रूप से और रिहायशी इलाकों में चलाए जाने चाहिए। इन्हें गैर सरकारी संगठनों और निजी व्यक्तियों द्वारा सरकार की मदद से चलाया जाना चाहिए। स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है, उसे उन्नत किए जाने की आवश्यकता है।

अधिकांश महिलाएं कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के कार्यों में लगी हैं। इन महिलाओं के प्रशिक्षण से उनकी उत्पादकता और आय में काफी वृद्धि हो सकती है। अपने अध्ययन में हमने देखा कि खेती की पद्धतियों के संबंध में महिलाओं को धान की खेती की एसआरआई तकनीक, बीज की नई किस्मों और खेती के आधुनिक उपकरणों के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। कैमूर और पूर्णियां दो जिलों में अध्ययन टीम ने उन क्षेत्रों का दौरा किया जहां महिलाओं (अधिकांश खेतिहर और बटाईदार) को प्रशिक्षण दिया गया था। उन्होंने बताया कि आधुनिक पद्धतियों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई है।

कुछ क्षेत्रों में विविधीकरण की दिशा में प्रयास भी सफल रहे हैं जहां अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सरकार ने फसलों की खेती के अलावा अन्य कार्यों में महिलाओं और पुरुषों को प्रशिक्षण दिया है। एक ऐसा कार्यक्रम शहतूत की खेती और रेशम का कीटपालन है। यह खासतौर से अनुसूचित जाति के परिवारों को दिया जाता है जिनके पास खेती की जमीन नहीं होती है या जमीन का बहुत छोटा टुकड़ा होता है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई रेशम कीटपालन परियोजना का कई किसानो ने लाभ उठाया है। इस परियोजना के तहत किसानों को शहतूत के ककून विकसित करने के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। शहतूत के ककून निर्माण के कुल 75 प्रतिशत कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं।

अन्य नवप्रवर्तनकारी और प्रभावी कार्यक्रम मशरूम की खेती के बारे में प्रशिक्षण देना रहा है। इससे महिलाओं के लिए रोजगार और आय सृजन के नए अवसर खुले हैं। कृषि विज्ञान केंद्र(केवीके), जमुई द्वारा केवाल गांव में शुरू किए गए कार्यक्रम से गांववासियों को काफी सहायता मिली है जहां लोगों का मुख्य पेशा खेती है। सिंचाई की सुविधा की कमी के कारण लोग वर्ष में केवल दो मौसमों पर निर्भर करते हैं।

[2]http://crisil.com/pdf/corporate/skilling-india_nov10.pdf

केवीके की सहायता से पूसा संस्थान, दिल्ली में महिलाओं को मशरूम की खेती के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। लेकिन विकास में वास्तव में जिस चीज से तेजी आई वह ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन के विकास के लिए तकनीकी सहायता और मशरूम बीजों का उत्पादन था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रायोजित इस परियोजना से महिलाओं को कृषि से अपनी आय बढ़ाने में मदद मिली है। पहले यह खेती केवल ऊंची जाति की महिलाओं द्वारा की जाती थी लेकिन अब 'कुम्हार' जाति की अन्य महिलाएं भी धीरे–धीरे मशरूम की खेती करने लगी हैं।

इसी प्रकार पशुपालन के क्षेत्र में भी बिहार राज्य दूध सहकारिता परिसंघ द्वारा प्रशिक्षित महिला कामगारों और अपने परिवार के उद्यम के तौर पर पशुपालन करने वाली महिलाओं के बीच काफी अंतर है। सुधा कोऑपरेटिव से जुड़ी महिलाएं दूध बेचकर अपनी आमदनी दुगुनी कर पाने में सक्षम हो गई हैं।

पापड़ व अगरबत्ती बनाने जैसे कुछ घरखाता कार्यों को भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर और उत्पादन के बेहतर उपकरण मुहैया कराकर उन्नत बनाया गया है। उदाहरण के लिए मुजफ्फरपुर में लिज्जत पापड़ की ईकाई ने अपने सदस्यों को पापड बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया है जिससे इन महिलाओं की उत्पादकता और आय में सकारात्मक रूप से वृद्धि हुई है।

अगरबत्ती निर्माण के क्षेत्र में सेवा भारत ने मुंगेर में महिलाओं को एक्सट्रूडर मशीन के उपयोग का प्रशिक्षण दिया है जिससे महिलाओं का कौशल बढ़ा है और अगरबत्ती निर्माण में उन्हें विशिष्टता हासिल हुई है।

सेवा उद्योगिक स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, मुंगेर

यह संगठन घरखाता कामगारों द्वारा बनाया गया था। इसने अगरबत्ती बनाने के लिए एक्सट्रूडर मशीन का इस्तेमाल शुरू किया। एक्सट्रूडर मशीन जिसे पेडल मशीन भी कहा जाता है, विशेष रूप से मशीन से अगरबत्ती की डंडियां तैयार करने के लिए बनाई गई है। इसके लिए उपयोग की जानेवाली तकनीक बहुत सरल है।

मशीन के उपयोग से उत्पादकता 17 गुना बढ़ जाती है। जिससे आय में वृद्धि होती है। उद्यमों को भी मशीन के उपयोग से लाभ होता है क्योंकि मशीन द्वारा तैयार अगरबत्ती बेहतर किस्म की होती है और अस्वीकृति की दर भी कम होती है।

पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था और बैठने के इंतजाम से सदस्य बेहतर स्थिति में काम करने में सक्षम हैं। सदस्यों को भी महसूस होता है कि एक्सट्रूडर मशीन से उनके हाथ काले नहीं होते और घर गंदा नहीं होता है। इससे चारकोल भी उनकी सांसों के जरिए फेफड़े में नहीं जाता जैसाकि हाथ से अगरबत्ती बनाने में होता था।

जहां तक पेंटिंग, कसीदाकारी, एप्लीक, सुजनी आदि शिल्प कार्यों का संबंध है, कई एजेंसियां प्रशिक्षण कार्य और बिहार के पारंपरिक शिल्प उत्पादों के व्यापार में लगी हैं। इससे कई महिलाओं की आय काफी बढ़ गई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उद्यमियों का प्रशिक्षण काफी सफल रहा है। वहां महिलाओं ने नए छोटे उद्यम शुरू कर दिए हैं या मौजूदा उद्यमों का विस्तार किया है।

अध्याय 3

महिला सांख्यिकी

काम तो वे करती हैं पर गणना नहीं होती

महिलाओं का काम अदृश्य है। आधिकारिक सर्वेक्षणों से महिलाओं के बारे में जो तस्वीर उभरती है वह हम जो जमीन पर देखते हैं उससे मेल नहीं खाती है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण बिहार में महिलाओं की श्रमशक्ति में भागीदारी मात्र 11 प्रतिशत है। यह हास्यास्पद रूप से कम लगती है और निश्चय ही हम अपनी आंखों से जो देखते हैं उससे मेल नहीं खाती है। हम देखते हैं कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः सभी महिलाएं अपने खेतों में या दूसरे के खेतों में काम करती हैं या मवेशियों या अन्य पशुओं की देखभाल में लगी रहती हैं। शहरी क्षेत्रों में भी वे कई तरह के काम करती हैं।

ग्रामीण बिहार में महिलाओं और पुरुषों की कार्य भागीदारी (15–59 वर्ष)

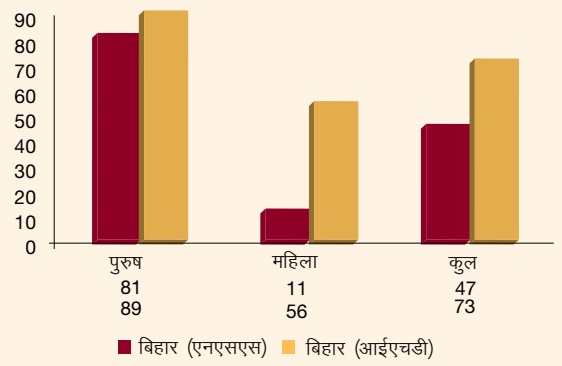

स्रोत : एनएसएस 2009–10, आईएचडी अध्ययन, 2011.

बहरहाल, अपेक्षाकृत अधिक छानबीन, जोकि छोटे सर्वेक्षणों में संभव है जहां प्रति घर अधिक समय दिया जा सकता है और सर्वेक्षक भी ज्यादा संवेदनशील तरीके से जानकारियां हासिल कर सकते हैं, से पता चलता है कि कार्य में भागीदारी के आंकड़े राष्ट्रीय आधिकारिक सर्वेक्षणों में पाए गए आंकड़ों से काफी अधिक हैं। इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा किए गए अध्ययन, जहां अपेक्षाकृत अधिक गहरी छानबीन संभव थी, के अनुसार बिहार में काम में महिलाओं की भागीदारी की दर 56 प्रतिशत है जोकि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की दर से पांच गुना ज्यादा है। नीचे दिए गए चित्र में देखा जा सकता है कि इस प्रकार का अंतर पुरुषों के मामले में नहीं है।

आधिकारिक सर्वेक्षणों (एनएसएसओ) के अनुसार बिहार में 80 प्रतिशत महिला कामगार केवल 'घरेलू कामों' में लगी हैं। बिहार में शेष भारत के समान ही अधिकांश घरेलू कार्यों में भरण–पोषण संबंधी काम शामिल हैं जो दरअसल आर्थिक गतिविधियां हैं। आईएचडी अध्ययन के अनुसार आधी से ज्यादा कामगार महिलाएं स्वाश्रयी हैं। 'स्वरोजगार में लगा कामगार' या 'बिना भुगतान का पारिवारिक कामगार' ही वह श्रेणी है जिसमें गणना के समय सर्वेक्षक महिलाओं को नजरंदाज कर जाते हैं। खासतौर पर जो महिलाएं पशुपालन, मवेशियों या बकरियों या सूअरों की देखभाल या मुर्गी पालन में लगी हैं उन्हें कामगार नहीं माना जाता है। इसलिए बेशक महिलाएं अपना काफी समय आर्थिक गतिविधियों में लगा रही हों उनकी आर्थिक भूमिका को नगण्य, अनुपूरक या अस्थायी माना जाता है। कामगारों की गणना संबंधी सर्वेक्षणों में जब उनसे पूछा जाता है कि वे क्या करती हैं तो अक्सर उनका जवाब भी सही नहीं होता है। पर्यवेक्षकों के भी अपने पूर्वाग्रह होते हैं। फिर समाज की पितृसत्तात्मक प्रकृति के कारण आमतौर पर यह माना जाता है कि परिवार में पुरुष ही कामगार होते हैं।

'मेरे पति से पूछ लीजिए'

सेवा की टीम सीतामढ़ी जिले के बेलसांद गांव में एक घर में गई तो बिधानी देवी गोयठा ठोक रही थी। टीम ने जब उसके काम के बारे में पूछा तो उसने अपने पति की ओर देखा और बोली –'मेरे पति से पूछ लीजिए।' पर जब उससे कुरेदकर पूछा गया तो पता चला कि उसके घर में एक भैंस, दो बैल व दस कट्ठा जमीन है। अपने खेत में वह गुढ़ाई व कटाई दोनों ही करती है। पशुओं की देखभाल भी करती है। इसके बावजूद वह अपने को कामगार नहीं मानती। उसकी नजर में ये सभी कार्य उसकी घरेलू जिम्मेदारियों का हिस्सा हैं।

3.1 आंकड़ों में नहीं इसलिए वित्तीय सेवाओं से भी महरूम

असंगठित क्षेत्र की महिलाएं खासतौर पर गरीब महिलाएं वित्तीय मुख्यधारा का हिस्सा नहीं हैं। सच तो यह है कि उन्हें वित्तीय सेवाओं के लायक ही नहीं माना जाता। इन सेवाओं तक उनकी पहुंच के बारे में जानने के लिए किए गए अध्ययन में विभिन्न वेबसाइट, प्रकाशन, पत्र पत्रिकाओं व रिपोर्टों में उपलब्ध संबंधित सामग्री का व्यापक इस्तेमाल बतौर सहायक सामग्री किया गया। सहायक सामग्री में उपलब्ध वित्तीय सेवाओं के गुणात्मक व परिमाणात्मक आंकड़ों का आकलन किया गया है। यही नहीं सेवाओं के वितरण के माध्यम, उनकी पहुंच, संख्या और उनकी गुणवत्ता के स्तर का भी आकलन किया गया है।

इस व्यापक शोध के बावजूद पाया गया कि जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे हमारे उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं हैं। आमतौर पर वित्तीय व्यवस्था में लिंग आधारित आंकड़ें इकट्ठे नहीं किए जाते। असंगठित क्षेत्र के आंकड़ें भी सीमित हैं, यही नहीं गरीबों तक आर्थिक सुविधा की पहुंच के आंकड़े भी विश्वसनीय नहीं हैं जैसा कि बैंकों और सरकार ने माना भी है। इन्हीं बाधाओं की वजह से बिहार की असंगठित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की वित्तीय हिस्सेदारी की वास्तविक स्थिति की सीमित तस्वीर ही उभर पाई है। विशेष रूप से गरीबों और खासकर महिलाओं संबंधी बचत, बीमा कवरेज, धन प्रेषण के बेहद सीमित आंकड़े ही उपलबध हो सकें हैं।

वित्तीय संस्थाओं में वित्तीय समावेश के स्त्री–पुरुष संबंधी अलग–अलग आंकड़े एकत्र करने और रिपोर्ट करने की परिपाटी नहीं है। यदि यह हो तो इन आंकड़ों का इस्तेमाल वित्तीय समावेश में महिलाओं की बराबर की भागीदारी के लिए नई पहल करने, एजेंसियों की प्रगति या उपलब्धि का आकलन, मूल्यांकन और रिपोर्ट तैयार करने में किया जा सकता है।

3.2 स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े

महिलाओं के जीवन में कार्य की प्रधानता और घर के बाहर और भीतर बिताए काम के घंटों की संख्या को देखते हुए उनके पेशागत स्वास्थ्य पर विशेष रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है। पर काम से संबंधित उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।

एक अन्य क्षेत्र जिसके बारे में आंकड़ों का अभाव है, वह है कुपोषण। यह व्यापक समस्या है। राष्ट्रीय पोषण अनुवीक्षण बोर्ड (एनएनएमबी) आहार और पोषण सर्वेक्षण करता है लेकिन यह केवल दस राज्यों तक सीमित है। उनमें बिहार शामिल नहीं है।

अध्याय 4

महिला स्वास्थ्य

कामगारों और उनके बच्चों के समग्र विकास के लिए स्वास्थ्य और पोषण काफी महत्वपूर्ण हैं। रूग्णता का मतलब है कम काम, कम आय, डॉक्टरों के बिल, दवाइयों और नैदानिक जांच पर काफी अधिक खर्च। अध्ययन बताते हैं कि भारत में बीमारी के कारण लगभग छह करोड़ लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। बिहार भारत के निर्धनतम राज्यों में से एक है इसलिए यह मानना उपयुक्त होगा कि हर साल गरीबी रेखा के नीचे आनेवालों में काफी बड़ी संख्या इस राज्य के लोगों की होती है और ये लोग प्रमुख रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगार होते हैं।

4.1 पेशागत स्वास्थ्य

पेशागत बीमारियां कामगारों की प्रमुख समस्या है लेकिन उनके बारे में कोई व्यावहारिक अध्ययन या खास जानकारी अभी तक नहीं है। सेवा अध्ययन के आधार पर सामने आई महिला कामगारों की जिन पेशागत बिमारियों पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है वे हैं–मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी लंबी बीमारियां, चोट, तनाव, और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। कामगारों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता की कमी, व स्वास्थ्य सेवाएं कहां से प्राप्त की जाएं, इस बारे में जानकारी का अभाव भी उनकी समस्याओं को बढ़ाता है। कामगारों के पास ऐसे उपकरणों की कमी है जो उनके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। साथ ही उनकी उत्पादकता और आय भी बढ़ाते हैं।

4.2 लिंग अनुपात

घटते हुए लिंग अनुपात के लिए प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण की प्रौद्योगिकी और सेवाओं की बढ़ती सुलभता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। साथ ही छह साल से कम उम्र की लड़कियों की जानबूझकर उपेक्षा भी इसकी वजह हो सकती है।

बिहार में महिला कामगारों की पेशागत स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां

कामगार	स्वास्थ्य संबंधी समस्या
छोटे और सीमांत किसान, कृषि मजदूर	पीठ दर्द, शरीर में दर्द, कटने से जख्म, आंख और त्वचा में संक्रमण, जीवाणु संक्रमण।
ईंट -भट्टा मजदूर	झुलसना, सांस संबंधी समस्याएं, त्वचा और आंखों में जलन, लू लगना, दुर्घटनाएं जिनसे हड्डी और मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।
हथकरघा कामगार (रील बनाना, महिलाओं द्वारा बोबिन भरना)	अंगों में दर्द, सुनने की क्षमता कम होना (लंबे समय तक शोर सुनने के कारण), उंगलियों में दर्द।
बांस की टोकरी बनानेवाले	उंगलियों में बांस से लगे घाव, त्वचा का मोटा होना, नाखून और उंगलियों में फोड़े।
बीड़ी बनाने वाले	शरीर दर्द, पीठ दर्द, सांस संबंधी समस्याएं, सिर चकराना।
मखाना पॉपर्स	झुलसना, हाथों में दर्द।
कचरे का पुनर्चक्रण करनेवाले	शरीर दर्द, पीठ दर्द, त्वचा रोग, चोट, घाव।
निर्माण कामगार	शरीर दर्द, पीठ दर्द, दुर्घटना में छोटी बड़ी चोट।

नवजात बच्चियों की उपेक्षा : जानकी देवी की कहानी

मुंगेर जिले में जानकी देवी की बाहों में एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी उम्र छह महीने बताई गई लेकिन वह दो महीने की दिखाई दे रही थी। शिशु में मस्तिष्क पक्षाघात के लक्षण दिख रहे थे। साथ ही उसमें सांस की जबर्दस्त कमी के लक्षण दिखाई दे रहे थे। मां से पूछने पर हमें पता चला कि बच्ची प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी में चिमटी से पैदा हुई थी और जब जन्म हुआ उसे सांस लेने में कठिनाई थी। प्रसव करानेवाले चिकित्सक ने मां से बच्चे को तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग ले जाने के लिए कहा जहां इस प्रकार के मामलों के इलाज के लिए सुविधाएं मौजूद थीं।

जब हमने मां से पूछा कि क्या उसने डॉक्टर की सलाह मानी तो उसने बताया कि उसके पति और ससुराल वालों ने इसे यह कहकर मना कर दिया कि 'वैसे भी, यह एक लड़की है, क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वह वास्तव में मर जाती है जैसा कि डॉक्टर ने भविष्यवाणी की है, तो यह सभी संबंधित लोगों के लिए अच्छा होगा।' इस घटना को बताते हुए मां फूटफूटकर रोने लगी।

4.3 मातृक और प्रजनन स्वास्थ्य

मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में बिहार 261 के साथ भारत में पांचवें स्थान पर है। प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) मातृ स्वास्थ्य सेवाओं का एक प्रमुख घटक है। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ टीकाकरण, एनीमिया की जांच और आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों का प्रावधान, नियमित वजन और ब्लड प्रेशर की माप जैसी सेवाएं शामिल हैं।

संस्थागत प्रसव को सरकार द्वारा मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम करने का साधन माना जाता है। लेकिन क्षेत्रीय दौरों में हमने पाया कि दरअसल पूरे जिले में केवल दो या तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संस्थागत प्रसव सेवाएं प्रदान करते हैं और अधिकांश केंद्रों में बिजली, पानी, बेड और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। अनुभवी एएनएम और नर्सों की भी भारी कमी है जो संस्थागत प्रसवों की देखभाल कर सके। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत दी जानेवाली धनराशि के भुगतान में भी काफी विलंब होता है।

जहां तक मातृ स्वास्थ्य और बच्चे के जन्म का संबंध है, प्रमुख मुद्दा सुरक्षित मातृत्व है। सरकारी और निजी सभी प्रयासों का मुख्य जोर यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि किस प्रकार अपनी पसंद की जगह पर चाहे वह कोई संस्था हो या घर, महिलाओं को सुरक्षित प्रसव की सुविधा मिले और प्रसव कुशल, प्रशिक्षित और अनुभवी दाई या पारंपरिक प्रसव परिचाारिका (टीबीए), एएनएम या किसी डॉक्टर की स्टाफ नर्स की देखरेख में हो।

बिहार में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) में गिरावट आ रही है लेकिन उस गति से नहीं जिस गति से राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर में गिरावट आ रही है।

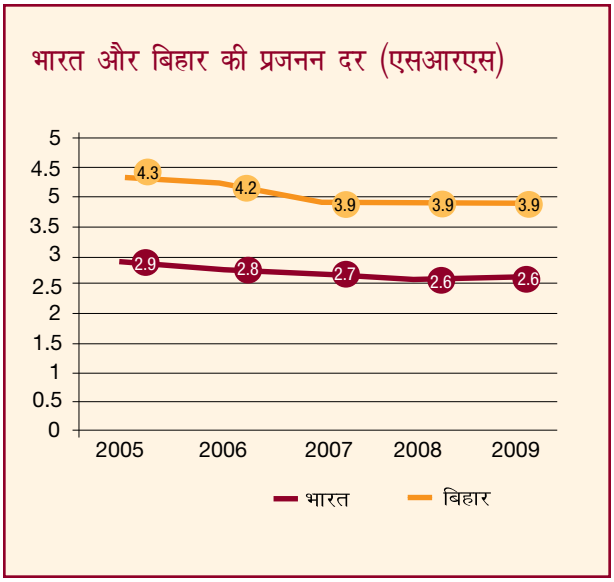

स्रोत : बिहार में महिलाओं व लड़कियों के स्वास्थ्य की स्थिति, एनएचआरसी–2013.

अध्ययन में यह पाया गया कि विवाहित महिलाएं किसी न किसी प्रकार के आधुनिक गर्भनिरोधक का उपयोग कर रही हैं लेकिन जब इसे उपयोग की जानेवाली पद्धतियों में अलग–अलग करके देखा गया तो पाया गया कि अधिकांश ने महिला बंध्याकरण कराया है जबकि अन्य विधियों का उपयोग बहुत ही कम किया गया है। साथ ही जनन मार्ग (रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट) संबंधी बीमारियों की अधिकता है और 25 प्रतिशत महिलाओं में असामान्य स्राव होता है।

गंभीर संक्रमण : आरटीआई व एसटीआई

बिहार आयोग के अध्ययन दल ने बांझपन, श्रोणि दर्द, संभोग व पेशाब के समय दर्द और असामान्य योनि स्राव जैसे जनन मार्ग में संक्रमण के लक्षणों के बारे में महिलाओं के साथ विस्तृत रूप से बातचीत की। उसने पाया कि यह बीमारी आम है और कई महिलाएं और किशोरियां अलग-अलग तीव्रता वाले कुछ आरटीआई लक्षणों से पीड़ित हैं। इसके अलावा, कई महिलाओं ने बताया-'हमने अपनी नियति को स्वीकार करना सीख लिया है। औरत होने की यही नियति है। हम जो अनुभव कर रहे हैं वह हर औरत का सहन करना पड़ता है। इसका कोई उपाय नहीं है।'

4.4 जल, स्वच्छता और शहरी आवास

हालांकि हाल के वर्षों में बिहार राज्य में महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि देखी गई है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं जैस जल और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच अभी भी प्रमुख समस्याएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, केवल 50 प्रतिशत घरों में अपने परिसर में पीने का पानी है और पचास प्रतिशत परिवारों को पानी लाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अधिकांशतया पीने का पानी लाने का काम घर की महिलाओं और लड़कियों के जिम्मे होता है।

पेय जल स्रोत (जनगणना, 2011)

घर (प्रतिशत)	बिहार	भारत
नल	4.4	43.5
कुंआ	4.3	11
चापाकल	86.6	33.5
ट्यूब वेल	3	8.5
झरना	0	0.5
नदी/नहर	0.2	0.6
तालाब/पोखर/झील	0.1	0.8
कोई अन्य	1.4	1.5

महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था बहुत जरूरी है। खुले में शौच करने का मतलब है महिलाओं के साथ यौन हिंसा की आशंका व आसार। खुले में शौच जानेवाली महिलाएं बलात्कार का भी शिकार होती हैं। घर में शौचालय न होने से महिलाओं में कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। खुले में शौच जाने के लिए उन्हें अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है। शौचालय महिलाओं की मान-मर्यादा और स्वास्थ्य की रक्षा करता है। बिहार के 77 प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है (जनगणना 2011)। इस मायने में बिहार देश में सबसे ऊपर है।

शहरी क्षेत्रों में स्थिति खासतौर पर गंभीर है। शहरों में जिस चीज की कमी है वह जल संसाधन, उपचार और सीवर तथा नालियों के लिए अपेक्षित निवेश है। निर्धन क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब है जहां न तो नल का पानी है और न ही शौचालय। शहरों में खुले में शौच जाना आम है। 30 प्रतिशत से अधिक लोगों को खुले में शौच करना पड़ता है। बिहार के कुछ शहरों की तस्वीर और भी खराब है जहां 60 प्रतिशत लोगों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है।[3]

योजना आयोग ने मूलभूत सेवाओं खासतौर पर जल और स्वच्छता जैसी सेवाओं के सार्वभौमीकरण और इन्हें पट्टेदारी (लैंड टेन्योर) और वैधानिक स्थिति के मामलों से अलग रखने के लिए कहा है।

भू-धृति या लैंड टेन्योर और आवास शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों की एक बड़ी समस्या है। मलिन बस्तियों में खदेड़ दिए जाने या गिरा दिए जाने के भय से लोग मकान में पैसा नहीं लगाते। इससे उनकी उत्पादकता में कमी आती है। जब लोगों के रहने की जगह असुरक्षित होती है तो वे या तो घरों में या अपने व्यवसाय में निवेश करने के अनिच्छुक होते हैं।

सरकारी फैसलों में देरी का दुष्प्रभाव

पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में ज्यादातर महिलाएं बीड़ी व अगरबत्तरी बनाने का काम करती हैं। सेवा अध्ययन दल ने पाया कि यहां मात्र दो सामूहिक शौचालय हैं पर वे भी काम नहीं करते। पहले महिलाएं यहां एक खाली पड़े प्लाट में शौच चली जाती थीं। पर उसमें चार दीवारी खड़ी हो जाने के बाद वह स्थान भी उनके लिए नहीं रहा। इस पर उन्होंने अपने घरों के पीछे खड्डा खोदकर सूखे शौचालय बनवाए। हफ्ते में एक बार उनकी सफाई हो पाती है। सेवा अध्ययन दल ने जब अधिकारियों से पूछा कि यहां शौचालय क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं तो उनका जवाब था इन सभी को यहां से हटाकर दूसरी जगह बसाया जाना है इसलिए पटना नगर निगम यहां न तो खुद शौचालय बनाने पर पैसा खर्च करना चाहता है न लोगों को ही बनाने की अनुमति दे रहा है। उधर, शहर की पुनर्वास योजना सात साल से लंबित पड़ी है और कोई नहीं जानता कि कब उस पर काम शुरू होगा।

[3]एसयूपीआर रिपोर्ट।

पुल के लिए उजाड़ दी बस्ती

सिलिया देवी 60 वर्ष की बूढ़ी है और मुंगेर में रेलवे लाइन की तीन नंबर गुमटी में वर्षों से रह रही थी। 2009 में उसे अपना घर खाली करने का आदेश दिया गया क्योंकि गंगा नदी पर रेल-सह-पुल निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू होने वाली थी। सिलिया बेन और कई अन्य मुंगेर के रेलवे लाइन के किनारे इस गुमटी में पिछले 60–70 साल से रह रहे थे। वे मुंगेर के नागरिक हैं और शहर में वर्षों से कचरा बीनने का काम कर रहे हैं। रेल-सह-पुल निर्माण कार्य ने उनकी जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया। रेलवे मंत्रालय का एक अंग्रेजी में लिखा पत्र इन झुग्गियों के निरक्षर निवासियों को उनके कब्जे वाली जमीन को खाली करने के लिए भेजा गया। और उन्हें वहां से हटा दिया गया। पहले से ही गरीबी की मार झेल रहे इन परिवारों के विस्थापन ने इन्हें और भी हाशिए पर ला दिया। मकान ढाहने की कार्रवाई में न केवल उनके घर तोड़े गए बल्कि इन परिवारों का संपूर्ण सामाजिक और आर्थिक जीवन ही बिखर गया। ऐसी कार्रवाई का असर लोगों के बच्चों पर भी पड़ता है व आनेवाली पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।

इस समस्या का समाधान संभव है पर इसके लिए निवेश और राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। इन समाधानों से न केवल गरीबों को बल्कि व्यापक जनसमुदाय को लाभ होगा। कटिहार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सेवा मॉडल ने नागरिकों को शामिल करते हुए स्थानीय रोजगार का सृजन किया है और यह काफी सफल रहा है। आवास की समस्या का सबसे प्रभावी हल लोग जहां पहले से रह रहे हैं वहां घर बनाने के लिए अनुमति देना है। एवीएएस की अनिता रेड्डी कहती हैं–'गरीब जहां रह रहे हैं वहां उनके लिए भागीदारीपरक आवास कार्यक्रमों से उनमें न केवल सुरक्षा की भावना आती है बल्कि इससे उनकी सामाजिक–आर्थिक प्रगति और पड़ोसी के साथ मर्यादापूर्ण एकीकरण का भी मार्ग प्रशस्त होता है।'

4.5 स्वास्थ्य प्रणाली : सार्वजनिक, निजी और सामुदायिक

सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कामगारों के स्वास्थ्य और उनके कल्याण का प्रमुख निर्धारक है। महिलाओं की सीमित गमनशीलता, संसाधनों की कमी, निर्णय लेने की सीमित शक्ति, कमजोर परिवहन व्यवस्था और संयोजकता संबंधी मुद्दों के कारण खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच बहुत सीमित है। वे अपने घरों के आसपास उपलब्ध सेवाओं का उपयोग करती हैं लेकिन यह हमेशा कम कीमत पर उपलब्ध नहीं होतीं।

जहां तक सरकारी स्वास्थ्य कर्मी का संबंध है, ऑक्जिलरी नर्स मिडवाइफ (एएनएम) गांव के स्तर पर महिलाओं और अन्यों के सबसे निकट संपर्क में रहनेवाली स्वास्थ्य कर्मी है। मेडिकल अधिकारी या डॉक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र(पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्रखंड स्तर पर फर्स्ट रेफरल यूनिट(एफआरयू) में अगले स्तर की सेवा प्रदान करते हैं।

भारत में कुल स्वास्थ्य सेवा के खर्च का 80 प्रतिशत निजी स्वास्थ्य सेवा में होता है। जहां हम बिहार में निजी स्वास्थ्य सेवाओं की प्रकृति और सीमा के बारे में कोई अध्ययन नहीं पाते हैं वहीं हमारे क्षेत्रीय दौरों, महिला कामगारों और सरकारी और निजी दोनों सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत से हमें राज्य में निजी स्वास्थ्य सेवा की प्रकृति और विस्तार के बारे में जानकारी मिली। ज्यादातर महिलाओं जिनसे हमने बात की, ने ऊंची लागत के बावजूद निजी स्वास्थ्य सेवा को चुना क्योंकि यह उनके घरों के पास थी और उन्हें समय पर राहत मिली। उन्हें डॉक्टरों से जांच कराने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना या इंतजार करना नहीं पड़ा। हालांकि उनमें गुणवत्ता की समझ बहुत कम थी।

अब यह व्यापक रूप से माना जाने लगा है कि स्वास्थ्य और पोषण में सुधार और संपूर्ण सेहत के लिए अपने समुदाय के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा कार्रवाई किया जाना काफी महत्वपूर्ण है।

सेवा को मुख्य रूप से आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के माध्यम से और मुंगेर, भागलपुर और कटिहार जिलों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रदाताओं और सुविधाओं के साथ महिलाओं को जोड़कर स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक कार्रवाई में शामिल किया गया है। महिलाओं द्वारा की गई कार्रवाई का एक उदाहरण भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड में उपकेंद्र खोलना है जो वर्षों से कार्य नहीं कर रहा था। सुल्तानगंज में प्रथम रेफरल यूनिट (एफआरयू) के साथ समन्वय और सहयोग से उपयोग और संतुष्टि दोनों स्तरों में वृद्धि हुई है।

4.6 स्वास्थ्य बीमा

स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से सभी की वित्तीय सुरक्षा को अधिकाधिक मान्यता मिल रही है। इसे कामगारों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा के भाग के रूप में पहचाना जा रहा है। 2008 में संसद ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया है, जिसमें पहली बार बीमा के माध्यम से कुछ बुनियादी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की

गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा अधिनियम का एक महत्वपूर्ण परिणाम था।

बिहार में स्वास्थ्य बीमा के समग्र प्रसार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, हम जानते हैं कि एक करोड़ 31 लाख पात्र व्यक्तियों में से 71 लाख व्यक्ति बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकित हैं।[4]

4.7 पोषण की स्थिति

बिहार में पोषण के कुछ संकेतक देश में न्यूनतम हैं। जन्म के समय कम वजन अभी भी व्यापक पैमाने पर है जैसाकि नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

बिहार के बच्चों में स्थायी और भारी कुपोषण दोनों काफी अधिक हैं जिससे करीब एक तिहाई बच्चियों का विकास जबर्दस्त रूप से अवरूद्ध हो जाता है। बिहार में तीन साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की व्यापकता की तुलना करने पर एनएफएचएस–2 और एनएफएचएस–3 के अनुसार यह पाया गया है कि बौनेपन में कमी आई है वहीं जन्म के समय कम वजन के मामलों में कोई खास बदलाव नहीं आया है और कुपोषित बच्चों के अनुपात में वृद्धि हुई है।

जिला	जन्म के समय 2.5 कि.ग्रा. से कम वजन के बच्चे (प्रतिशत)		
	कुल	ग्रामीण	शहरी
बिहार	22.4	22.6	21.4
सीतामढ़ी	9.6	10.2	–
पूर्णिया	34.9	31.6	–

स्रोत : वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2010–2011, पेज–95. (भारतीय जनगणना 2011, बिहार फैक्टशीट)।

4.8 सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं : पात्रताओं के आधार पर सहयोग पहुंचाना

क्षेत्रीय दौरों के दौरान सेवा टीम ने महसूस किया कि लोगों के जीवन में सरकारी सहयोग की कितनी अहम भूमिका होती है खासतौर पर जब उनकी पात्रता के हिसाब से उनके हक उन्हें प्राप्त होते हैं। गरीब और हाशिए पर बैठे लोगों के लिए अपने जीवन में सुधार लाने के लिए विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के अलावा और कोई खास सहारा नहीं है। इसका एक उदाहरण पेज 22 पर बॉक्स में दिया गया है।

स्वास्थ्य बीमा: एपीएल परिवारों की भी जरूरत

इंद्रासन देवी मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड के राघोपुर गांव की रहनेवाली हैं। वह 41 साल की हैं। उनका घर 'कच्चा' है जिसे हर वर्ष मरम्मत की आवश्यकता होती है। वह और उसके पति जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर खेती करते थे जो उनकी अपनी थी। वह दूसरों के खेतों पर कृषि मजदूर के रूप में भी काम करती थी। एक साल पहले वह बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने किडनी में खराबी बताई और सर्जरी कराने की सलाह दी। जैसाकि वह गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी में आती है इसलिए वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए योग्य नहीं थीं। सर्जरी के लिए उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ी।

क्षेत्रीय अध्ययनों और सामूहिक चर्चाओं के दौरान असंगठित क्षेत्र के कामगारों और गरीबों के लिए बने कुछ सरकारी कार्यक्रमों के बारे में महिलाओं से पूछा गया। अध्ययन टीम 11 जिलों के 79 प्रखंडों के 178 गांवों के महिलाओं से मिली। यहां हम कुछ सांकेतिक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं।

बिहार में महिलाओं द्वारा घरखाता काम काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है। इनमें पीस दर पर किए जाने वाले कार्य शामिल हैं जैसे बीड़ी व अगरबत्ती बनाना तथा शिल्प कार्य जैसे बुनाई और मधुबनी पेंटिंग। घर से किए जानेवाले कुछ कार्य विभिन्न सरकारी विभागों की योजनाओं के दायरे में आते हैं। हम जिन महिलाओं से मिले उनसे पूछा कि क्या उनके पास इन योजनाओं में से किसी का कार्ड है। जैसा कि पेज 22 पर ग्राफ में देखा जा सकता है, हमने पाया कि केवल 25 प्रतिशत महिलाओं को, जो पात्र थीं, वास्तव में कार्ड मिला था।

मनरेगा एक रोजगार योजना है जिसके तहत जो कोई भी काम खोजता है उसे जॉब कार्ड के माध्यम से सौ दिन काम दिया जाता है।

हमने पाया कि अभी तक केवल 23 प्रतिशत घरों ने ही अपना जॉब कार्ड लिया है। इस योजना का लाभ लेने की कोशिश जब महिलाओं ने की तो उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा इसलिए अन्य महिलाएं इसके लिए कोशिश करने की इच्छुक नहीं रहीं। कई जगह महिलाओं को रोजगार की इस प्रकार की योजनाओं की जानकारी नहीं थी। विभिन्न जिलों में महिलाओं के साथ हमारी बातचीत के दौरान हमने पाया कि महिलाओं के पास जॉब कार्ड्स होने के बावजूद मनरेगा के तहत उन्हें शायद ही काम मिलता है जबकि सामान्य तौर पर पुरुषों को मिल जाता है।

[4] *बिहार में महिलाओं व लड़कियों की स्वास्थ्य स्थिति,* एनएचआरसी रिपोर्ट, 2013.

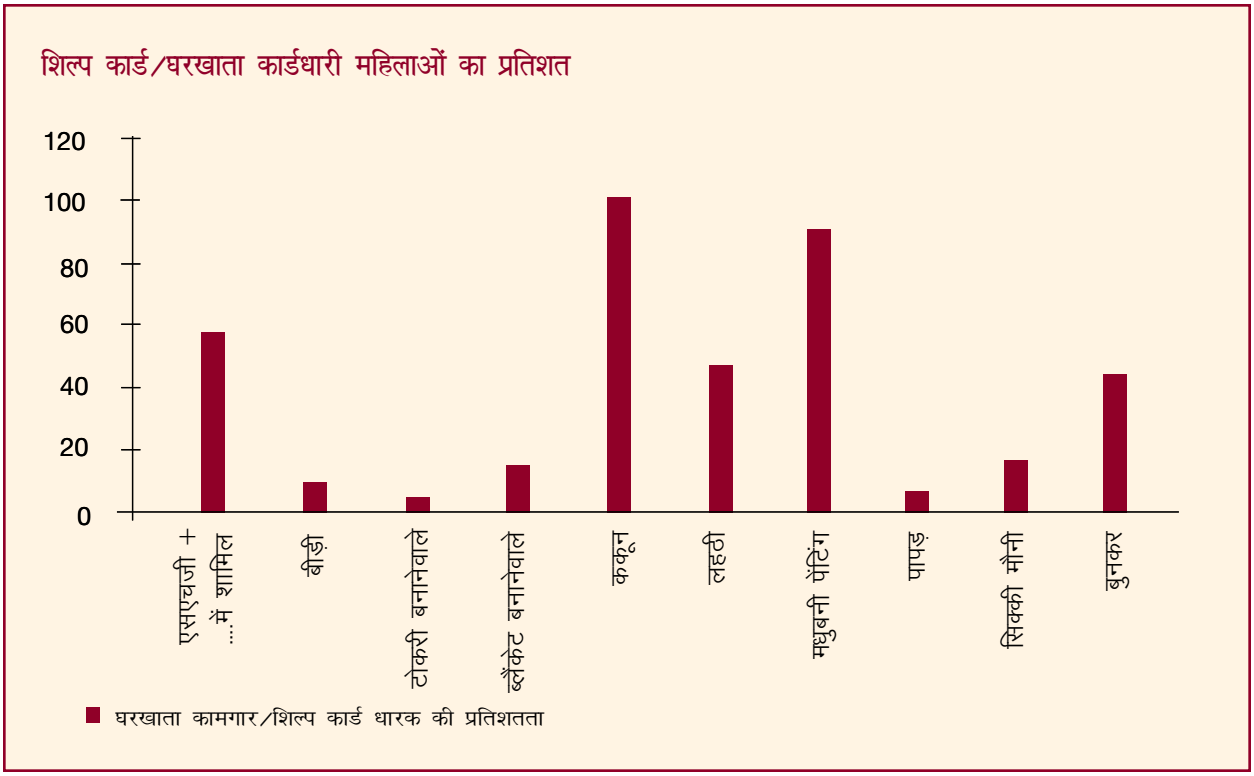

4.9 आवास

इंदिरा आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य घर बनाने और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे घरों के उन्नयन के लिए अनुदान प्रदान करना है। यह सहायता पात्र सदस्यों को पूर्ण अनुदान के रूप में दी जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे की ग्रामीण आबादी, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर, विधवाओं, अल्पसंख्यकों और गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों को यह सहायता दी जाती है। तीन प्रतिशत धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अपंग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित है।

अध्ययन से सामने आया कि लगभग 76 प्रतिशत पात्र परिवारों को इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। इंदिरा आवास योजना का लाभ पानेवाली महिलाओं की संख्या/प्रतिशत तालिका में देखें।

इंदिरा आवास : लीला की सफलता ने जगाई उम्मीदें

पूर्णिया जिले के जलालगढ़ ब्लाक में महादलित परिवार की 46 साल की लीला, छह बच्चों की मां आज पूरे गांव के लिए प्रेरणा स्रोत है। पति-पत्नी दोनों खेतिहर मजदूर थे। जैसे-तैसे घर खर्च चला रहे थे। पति की मृत्यु के बाद खेत मजदूरी से छह बच्चों का पेट भरना कठिन हो गया। छत निर्माण का काम सीखा पर वह मजदूरी भी घर खर्च के लिए काफी नहीं थी। इसी बीच, गांव के ही लड़के किशन से लीला को रेशम की कीड़े पालने के काम की जानकारी मिली। किशन खुद उस समय यही काम कर रहा था। लीला ने भी उस काम को सीखा। पर इसे अपने स्तर पर शुरू करने के लिए उसे दों चीजों की जरूरत थी। एक शहतूत की पत्तियां व दूसरा पक्का घर। रेशम के कीड़ों को उन चूहे, छिपकली व अन्य कीड़े-मकोड़ों से बचाए रखना जरूरी होता है जो कच्चे घरों में ज्यादा पाए जाते हैं। शहतूत के पेड़ उसने अपने छोटे से खेत में लगा लिए। अब घर को पक्का करना था। इसके लिए उसने इंदिरा आवास योजना (आईवाईए) के तहत सहायता के लिए आवेदन किया। इसमें उसे 20 हजार रुपए मिले। कुछ पैसे अपने पास से डालकर उसने अपना घर पक्का बनवा लिया। इसके बाद उसने इस पक्के घर में रेशम के कीड़े पालने शुरू किए। उसका काम चल निकला। अब तो वह साल में तीन बार रेशम के कीड़े पालने का काम करती है। इससे उसके घर का सारा खर्च निकल आता है और कुछ बचत भी हो जाती है। उस बचत से ही उसने अपने काम को बढ़ाया और कुछ अन्य महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। पूरे गांव में अब वह शान से रहती है। लोग, खासकर महिलाएं उसे अपना प्रेरणास्रोत मानकर चलती हैं। कड़ी मेहनत और सरकार से मिली मदद ने लीला की जिंदगी को उम्मीदों से भर दिया।

इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी

इंदिरा आवास योजना	नमूने में से पात्र घरों की संख्या	योजनाओं का लाभ लेनेवाले घरों की संख्या	योजना का लाभ लेने वाले घरों का प्रतिशत
कुल	883	214	24.2

दूसरी किस्त के लिए भटकती गुलाबो देवी

पलिया में हम 30–35 वर्षीय महिला गुलाबो देवी से मिले। वह कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। उसका पति बेतिया में रिक्शा चालक है और दोनों अपनी आजीविका चलाने के लिए संघर्ष करते हैं। लंबे इंतजार के बाद इंदिरा आवास योजना के अधीन कुछ धनराशि मिली। पहली किस्त के रूप में उसे 29,000 रुपए मिले। उसके बाद से दो वर्ष बीत गए हैं और उसे शेष राशि नहीं मिली है। गुलाबो अनपढ़ है और अपने गांव के अर्द्ध विकसित बिचौलिए पर निर्भर करती है जोकि उसके और प्रखंड कार्यालय के बीच एकमात्र कड़ी है। वह नहीं समझ पा रही है कि वह क्या करे।

अधिकांश महिला कामगार जिनसे हम मिले काफी गरीब थीं क्योंकि वे असंगठित क्षेत्र से आती हैं। यह तथ्य सराहनीय है कि उनमें से 70 प्रतिशत से अधिक के पास बीपीएल या एपीएल कार्ड्स हैं जैसाकि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है। हालांकि हमने यह भी देखा कि लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं जिनके पास एपीएल या कोई कार्ड्स नहीं थे, वे भी गरीब थीं और उन्हें भी इसमें कवर किया जाना चाहिए।

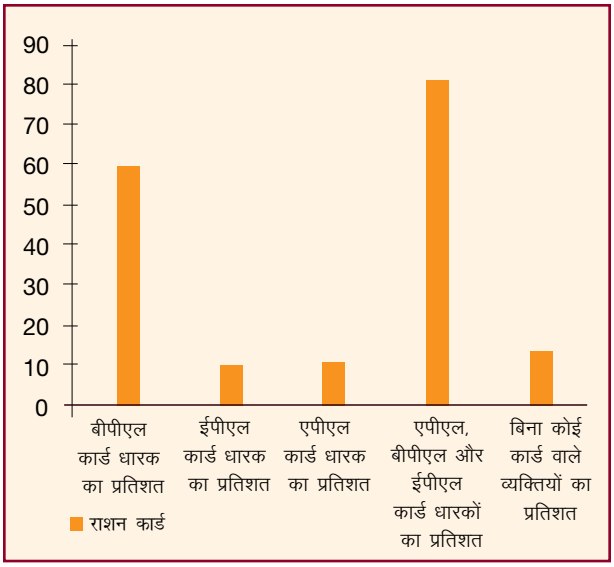

राशन कार्ड का प्रमुख लाभ है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न और किरोसिन की उपलब्धता। लेकिन अधिकांश महिलाओं ने बताया कि उन्हें साल में तीन या चार बार ही राशन मिलता है। ज्यादातर समय जब वे राशन लेने के लिए राशन की दुकान पर जाती हैं तो उनसे कहा जाता है कि अभी राशन नहीं आया है।

महिलाओं का आशा कार्यकर्ताओं के साथ काफी सकारात्मक अनुभव रहा था। उनमें से 91 प्रतिशत महसूस करती हैं कि आशा कार्यकर्ता/एएनएम उनके यहां आती हैं। उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्ता उन्हें सही सलाह देती हैं और सरकारी सुविधाओं के साथ जुड़ने में मदद करती हैं।

आशा कार्यकर्ताओं के दौरे के बारे में बतानेवाली महिलाएं

आशा/एएनएम का दौरा	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
हां	1128	91.34
नहीं	86	6.96
एन/ए	21	1.70
कुल	1235	100

मुजफ्फरपुर जिले की गिरिजा देवी कहती है कि उसके क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता गांव में अक्सर आती हैं और उन्होंने परिवार नियोजन के बारे में उसे समझाया है। उनकी सलाह से गिरिजादेवी ने नसबंदी करवाई है। उसे श्वेत प्रदर की शिकायत थी। आशा कार्यकर्ता ने उसे कुछ दवाइयां दीं और अब वह ठीक है। पहले वह कमजोरी के कारण कृषि मजदूर के रूप में केवल आधे दिन काम कर पाती थी लेकिन अब पूरे दिन काम करती है और पहले से काफी अधिक कमाती है।

अधिकांश महिलाएं जिनसे हमने बात की उन्होंने कहा कि शौचालय उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन लगता है सकल स्वच्छता अभियान (टोटल सैनिटेशन कैंपेन) अपेक्षित संख्या के निकट भी नहीं पहुंचा है और अभी भी 86 प्रतिशत लोग खुले में शौच करते हैं। 10 प्रतिशत ने अपने शौचालय बनवाए थे और केवल चार प्रतिशत ने सरकारी योजनाओं के तहत शौचालय बनवाए थे।

विधवा पेंशन योजना के तहत 18 से 64 वर्ष की विधवाओं, जो या तो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से हों या जिनकी सालाना आय 60,000 रुपए से कम हो, को 300 रुपए महीना दिया जाता है। अध्ययन के दौरान सेवा टीम 56 विधवाओं से मिली। इनमें से मात्र 12 को विधवा पेंशन मिल रही थी। अर्थात् 21.4 प्रतिशत महिलाओं को। बाकी 44 महिलाओं को इस पेंशन के न मिल पाने के पीछे मुख्य कारण अपने को पेंशन योग्य साबित करने की कठिन प्रक्रिया थी। इससे पार पाने के लिए परिवार/विधवाएं

वृद्धावस्था पेंशन : अधिकार नहीं, किस्मत से

पश्चिमी चंपारण के लालसरैया गांव में 65–70 साल की विधवा पार्वती समादार तीन साल से विधवा पेंशन पाने की कोशिश कर रही थी। सभी जरूरी कागजात मुकम्मल कर दिए जाने के बाद भी बाबू उसकी पेंशन मंजूर नहीं कर रहे थे। दामाद की कोशिशों से आखिर वह मंजूर हुई। पिछली तारीख से उसे एक साथ तीन हजार रुपए मिले। जब उससे पूछा गया, इतने पैसों का तुम क्या करोगी तो चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए उसने कहा-'दवा पे खर्च करेंगे।' पेशे से पार्वती एक बीड़ी कामगार है।

पार्वती के ठीक विपरीत कहानी पूर्णिया की कादरी मुर्मू की है। आदिवासी टोला की इस 62 साल की महिला का शरीर अब लगातार क्षीण हो रहा है। काम की ताकत घटती जा रही है। पिछले कुछ समय से वह वृद्धावस्था पेंशन पाने की कोशिश कर रही है। पर अपने कागज लेकर वह जिस किसी के भी पास जाती है वह उससे पैसे मांगता है जो उसके पास हैं नहीं।

दलालों का सहारा लेती हैं। मगर बहुत सी विधवाओं के लिए यह रास्ता भी कठिन होता है क्योंकि उनके पास दलाल को देने के लिए कमीशन की भारी राशि नहीं होती। सीधे दफ्तर में जाने पर कर्मचारी रिश्वत मांगते हैं। एक विधवा ने बताया कि पेंशन के कागज मंजूर करने के लिए एक कर्मचारी ने उसके सामने यौन संबंध बनाने की शर्त भी रखी। जितनी महिलाओं से बात की गई उनमें से 27.4 प्रतिशत पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही थीं। यह अन्य कई योजनाओं से अधिक है और यह बुजुर्ग महिलाओं को थोड़ी राहत देती है।

अध्याय 5

महिलाओं के प्रति हिंसा

बिहार सरकार ने हाल ही में माना है कि महिलाओं के प्रति हिंसा एक बड़ा मुद्दा है और इससे मुक्ति महिलाओं का वाजिब मानवाधिकार। इसकी रक्षा के लिए उसने प्रदेश मानवाधिकार आयोग व प्रदेश महिला आयोग का गठन किया है।

स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों से महिलाओं के प्रति हिंसा की भयावह तस्वीर उभरती है। पिछले दस साल में अपहरण की वारदातों में छह गुना की वृद्धि हुई और यौन हिंसा 18 प्रतिशत बढ़ गई। घरेलू हिंसा की घटनाओं में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। पति अथवा रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली यह ऐसी हिंसा है जो महिला को जल्द मौत की ओर ले जाती है।

5.1 हिंसा : महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी बाधा

समाज में बड़े पैमाने पर व्याप्त इस हिंसा का सीधा असर महिलाओं के विकास पर पड़ता है। शिक्षा, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और सभी प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में उनकी भागीदारी सीमित हो जाती है।

आज जहां भी गांव के निकट या मोहल्लों में प्राथमिक स्कूल हैं, लड़कियां पढ़ने जा रही हैं। माध्यमिक, सेकंडरी स्कूल या कालेज में पढ़ने के लिए उन्हें गांव से बाहर जाना होता है। तभी सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़कों पर, स्कूलों या कॉलेजों के आसपास के इलाकों में, बसों व रेलगाड़ी में उन्हें हिंसा का शिकार बनाया जाता है।

जीवन काल में महिलाओं पर होने वाली हिंसा

अवस्था	हिंसा के प्रकार
जन्म से पूर्व	कन्या भ्रूण हत्या, गर्भवती से मारपीट, बलात्कार के बाद ठहरने वाला गर्भ।
शैशवास्था	जन्म के साथ ही कन्या की हत्या, भावनात्मक व शारीरिक हिंसा, मारपीट, भोजन व चिकित्सा में भेदभाव।
बाल्यकाल	भोजन, शिक्षा व चिकित्सा में भेदभाव, बाल विवाह, परिवार के सदस्यों व अन्य द्वारा यौन हिंसा, बाल वेश्यावृत्ति।
किशोरावस्था	भोजन, शिक्षा व चिकित्सा में भेदभाव, नाबालिग विवाह, परिवार के सदस्यों व अन्य द्वारा यौन हिंसा, घर के बाहर व कार्य स्थल पर यौन हिंसा, छेड़छाड़, बलात्कार, जबरन वेश्यावृत्ति, तेजाब का हमला।
प्रजननावस्था	बेहद करीबी पुरुष-पति, मित्र, सहयोगी, पड़ोसी, रिश्तेदार द्वारा महिला के प्रति हिंसा/यौन हिंसा, पति द्वारा बलात्कार, दहेज प्रताड़ना व दहेज हत्या, विवाहेत्तर संबंधों या दूसरा विवाह कर लेने पर पति व परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा शारीरिक व मानसिक हिंसा, हत्या, कार्य स्थल पर हिंसा, बलात्कार, विधवा/अकेली महिला के प्रति हिंसा।
वृद्धावस्था	मानसिक, भावनात्मक व शारीरिक हिंसा, विधवाओं/अकेली महिला के प्रति हिंसा।

स्रोत : विश्व बैंक रिपोर्ट 'वॉयलेंस अगेंस्ट वूमन : द हिडन हेल्थ बर्डन', 1994,पृ.–5.

पटना में मगध महिला कॉलेज की छात्राओं ने समूह आधारित बातचीत में बताया कि वे चाहे ऑटो या बस जैसे सार्वजनिक परिवहन से कॉलेज जाएं अथवा अपनी बाइक से या पैदल, अपने को हमेशा असुरक्षित महसूस करती हैं। अपनी बाइक से हैं तो लड़के उनका पीछा करते हैं। सार्वजनिक ऑटों में वे साथ सटकर बैठने की कोशिश करते हैं, चूटियां काटते हैं, मोबाइल से फोटों खींचते हैं। सड़क पर चलते हुए पीछा करना, भद्दी टिप्पणियां करना और रोककर बात करने की कोशिश करना तो आम ही है। कॉलेज के ठीक सामने वे सड़क पर खड़े रहते हैं और कभी–कभी तो दुपट्टा तक खींच लेते हैं। यह सब बेहद बुरा लगता है पर इसे बर्दाश्त करना ही वे अपनी नियति मान चुकी हैं। उनका कहना था–'इन सभी घटनाओं का बुरा असर हमारी पढ़ाई व स्वास्थ्य पर पड़ता है। हम इनका जिक्र घर पर नहीं करतीं क्योंकि बहुत संभव है तब हमें कॉलेज आने ही न दिया जाए। थाने में जाने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि उससे अपनी व परिवार दोनों की ही बदनामी होती है। समाज ऐसे मामलों में लड़की को ही दोषी मानता है।'

सार्वजनिक स्थलों पर छेड़खानी और यौन हिंसा की घटनाएं सामान्य हैं। कारण, पुलिस ऐसी वारदातों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं करती और गुंडे–मवाली इसे 'मनोरंजक' सामूहिक गतिविधि मानते हैं। अध्ययन से निकलकर आया है कि हिंसा की काफी घटनाएं रिपोर्ट की जाने लगी हैं। मीडिया में भी पिछले दस साल में महिलाओं संबंधी हिंसा की खबरों में 60 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। फिर भी छात्राओं के साथ बलात्कार की घृणित घटनाओं को प्रायः दबा दिया जाता है। वैशाली जिले के प्रबोधी सिसौना गांव में विमल पासवान ने अपनी छह बेटियों को नहीं पढ़ाने का फैसला किया। उनकी दूसरी बेटी को गांव के दबंगों ने स्कूल जाते हुए परेशान किया। जब वह उनके सामने नहीं झुकी तो एक दिन उसका अपहरण कर बलात्कार किया और हत्या कर लाश कुएं में फेंक दी। तब भी पुलिस ने रपट दर्ज नहीं की। विमल पासवान का कहना था–'पुलिस दबंगों के साथ है। एक साइकिल के लिए लड़कियों की इज्जत का सौदा नहीं किया जा सकता'।[5]

छात्राओं के प्रति यह हिंसा उनकी शिक्षा में बड़ी बाधा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक अन्य रूप 'एसिड हमला' है जिससे खासतौर पर युवा छात्राएं प्रभावित हैं।

कार्यस्थल पर महिलाएं विशेष रूप से असुरक्षित हैं। दूसरों के घरों में काम का प्रचलन बिहार में तेजी से बढ़ रहा है। कई बार घरों में काम करने वाली महिलाओं को यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। घरेलू कामगारों के लिए कार्यस्थल पर काफी अधिक असुरक्षा है खासतौर पर उनके लिए जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से काम करने शहरों में आती हैं।

खेतों में काम करने के लिए महिलाएं प्रायः समूह में जाने का प्रयास करती हैं क्योंकि उन्हें ऊंची जातियों के पुरुषों या जमींदारों से यौन शोषण, खास तौर पर बलात्कार का खतरा रहता है। महिलाओं का कहना था कि पुलिस उनकी शिकायतें दर्ज नहीं करती, उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है।

हिंसा का डर महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने से रोकता है और उन्हें घर की चारदीवारी में कैद रहने के लिए मजबूर करता है। ऐसे में वे रोजगार संबंधी काम घर में बैठकर ही करती हैं। घरखाता कामगार प्रायः 30 रुपए प्रति दिन की मामूली सी राशि कमाते हैं। जाहिर है घर से बाहर निकल कर बेहतर आय वाले कामों से उन्हें वंचित होना पड़ता है। उनकी अपनी व परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार के मौके कम हो जाते हैं।

जहां तक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का सवाल है बिहार सरकार ने पंचायत और स्थानीय निकायों के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया है। यह बताता है कि राज्य महिलाओं की राजनीति में सक्रिय भूमिका का समर्थक है। फिर भी, जब भी चुनाव आते हैं और महिलाएं

यौन हिंसा की शिकार घरेलू सहायिका

पटना की पाटलिपुत्र कहलोनी के रीजेंसी अपार्टमेंट में व्यवसायी पुरुषोत्तम के घर पर 17 साल की एक सहायिका काम कर रही थी। उसका लगातार कई महीने तक यौन शोषण किया गया। करने वालों में खुद पुरुषोत्तम, उनका 75 साल का पिता, खानसामा और कार का ड्राइवर थे। इन चारों ने उससे बलात्कार किया और यातनाएं दीं। एक दिन पुरुषोत्तम की पत्नी ने अपने बेडरूम में पति को उसके साथ देख लिया और तुरंत नौकरी से निकाल दिया। कोई भलामानस उसे थाने ले गया जहां उसने आपबीती सुना चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि उसे उसके गांव का ही एक व्यक्ति जो पटना में गार्ड का काम करता है, नौकरी पर रखवाने के नाम पर ले आया था और पुरुषोत्तम के घर पर बतौर सहायिका रखवाया था। तीन दिन बाद से ही इन पुरुषों ने उसका यौन शोषण शुरू कर दिया।[6]

[5]पीयूसीएल रिपोर्ट, 14 दिसंबर 2012.
[6]हिंदुस्तान,12 अक्तूबर, 2012, पटना।

मुकाबलें में खड़ी होती हैं, उन्हें धमकियों और हिंसा का सामना करना पड़ता है।

मुजफ्फरपुर जिले में एक वार्ड से रेणुका देवी खड़ी हुई। यह सीट महिला के लिए नहीं दलित के लिए आरक्षित थी। रेणुका को उसकी शिक्षा को देखते हुए वहीं के एक स्वयं सहायता समूह ने खड़ा किया था। पर रेणुका के परिवार और प्रतिद्वंद्वी पुरुष उम्मीदवार दोनों को ही यह ठीक नहीं लगा। उस उम्मीदवार के गुंडों ने उसके पेट पर लात–घूंसे मारे। उनकी सोच थी कि रेणुका क्योंकि गर्भवती है इसलिए पेट पर मार से उसकी व उसके बच्चे दोनों की ही मौत हो जाएगी। (मामला नं.14, पंचायत प्रहरी)।

घरेलू हिंसा ज्यादातर घरों में होती है। यह इतनी सामान्य है कि इसे हिंसा माना ही नहीं जाता। खुद महिलाएं भी नहीं मानतीं। यह पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाता है। एक महिला का कहना था 'पति देवता है। उसे खुश रखना हमारा कर्तव्य है।' आंगनवाड़ी सेविका ने हमें बताया–'घरेलू हिंसा सभी के सामने होती है पर कोई भी बीच–बचाव नहीं करता है, यदि कोई करता है तो पति उसे अपने काम से काम रखने के लिए कह देता है। इसलिए कोई मदद नहीं करता है।'

राज्य महिला आयोग महिलाओं के प्रति हिंसा विरोधी कानूनों की जानकारी देने व उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। महिलाओं के प्रति हिंसक वृत्ति वाले पुरुषों के लिए परामर्श की व्यवस्था भी की है। वर्ष 2008[7] में पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को घरेलू हिंसा अधिनियम (2005) लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने बिहार के हर जिले में सुरक्षा अधिकारी और सेवा प्रदाता नियुक्त करने और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए हर जिले में एक 'सुरक्षित आश्रय' उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा घरेलू हिंसा के मामले पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया गया। 'महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य नीति' बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है।

5.2 असुरक्षित स्थितियां

बिहार के पितृसत्तात्मक समाज में क्योंकि महिलाओं के प्रति हिंसा सहज मानी जाती है और पुलिस व प्रशासन की ढिलाई के कारण लोगों को उसका डर भी नहीं है इसलिए घर से बाहर जहां–तहां व जब–तब महिलाएं हिंसा का शिकार होती रहती हैं। खुले में शौचालय जाते हुए वे हमेशा खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। बिहार में 77 प्रतिशत लोग खुले में शौच जाते हैं। महिलाएं क्योंकि अंधेरे में ही खुले में शौच जा पाती हैं इसलिए उन्हें अपनी अस्मिता व अपने पर हमले का डर हमेशा बना रहता है। *मीडिया अध्ययन के अनुसार लड़कियों या महिलाओं के अपहरण की 30 प्रतिशत वारदातें शौच के दौरान ही हुईं। बलात्कार की कई वारदातें भी अंधेरे में खुले में शौच का नतीजा होती हैं।*

कई जगह काम की स्थितियां भी महिलाओं के लिए असुरक्षित होती हैं। ईंट–भट्टों पर और निर्माण कार्यस्थलों पर महिला कामगार अक्सर यौन शोषण का शिकार होती हैं। खासतौर से उस ठेकेदार द्वारा जो उसका काम देखता है या उसे काम पर रखता है।

दूर–दराज शहर में काम करने, नौकरी या फिर पढ़ाई के लिए जाने वाली लड़कियां भी अक्सर अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, आशा इन सभी को अलग–अलग जगहों पर वक्त–बेवक्त आना–जाना पड़ता है। ऐसे में साहसी होने के बावजूद अपनी सुरक्षा के प्रति वे हमेशा ही आशंकित रहती हैं। घर से दूर स्कूल–कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर गई लड़कियों का जीवन भी असुरक्षित होता है।

5.3 पितृसत्तात्मक मानसिकता

पिछले एक दशक में महिलाओं की स्थिति में हालांकि काफी सुधार हुआ है फिर भी पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता से मुक्ति अभी काफी दूर की बात लगती है। महिलाओं और पुरुषों दोनों में पितृसत्तात्मक मानसिकता अभी भी बनी हुई है। कन्या भ्रूण हत्या और लड़कियों के प्रति हिंसा परिवार में स्वीकार्य है। यौन हिंसा को समाज में स्वीकार कर लिया गया है। महिलाएं यौन हिंसा की रिपोर्ट करने से डरती हैं क्योंकि हिंसा की शिकार महिला को ही इसका दोषी माना जाता है। यदि अकेली बाहर गई किसी महिला पर हमला होता है तो आम धारणा यही होती है कि गलती महिला की होगी।

समाज में प्रचलित डायन प्रथा भी पितृसत्ता का ही एक विकृत स्वरूप है। अध्ययन से सामने आया कि डायन प्रथा समाज में व्यापक स्तर पर प्रचलित है। इसमें माना जाता है कि डायन की 'बुरी नजर' पुरुषों, बच्चों व पशुओं को प्रभावित करती है। लोगों के अनुसार डायन हमेशा स्त्री ही होती है।

जो भी हो, बिहार में आज महिलाएं तेजी से बदल रही हैं। वे पहले से ज्यादा मुखर हैं, आत्मविश्वासी हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। पर बढ़ती घरेलू हिंसा, सार्वजनिक स्थलों पर व्याप्त हिंसा व असुरक्षित वातावरण उन्हें वापस घर की चारदीवारी में धकेल सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस हिंसा से निपटने के प्रभावी कदम जल्द से जल्द उठाए जाएं।

[7]टाइम्स ऑफ इंडिया, (31 जुलाई, 2008)
http://timesofindia.indiatimes.com/Cities/Patna/HC_asks_Bihar_to_enforce_Domestic_Violence_Act/articleshow/3310382.cms

नारी अदालत : जल्द न्याय का जरिया

महिलाओं के प्रति हिंसा से निपटने के लिए महिला समाख्या की नारी अदालत की भूमिका बिहार में बेहद महत्वपूर्ण रही है। राज्य में दो साल में इसने महिलाओं पर हिंसा के करीब 6000 मामले सुलझाए हैं। राज्य के 14 जिलों में कार्यरत हिंसा समितियां यह कार्य सफलता पूर्वक कर सकीं तो इसलिए कि वे मामले से संबद्ध सभी पक्षों को इसमें शामिल करती हैं। जरूरी होता है तो ग्राम पंचायत, जाति पंचायत, यहां तक कि पुलिस को भी सामने बैठाती हैं। सभी की आम राय से फैसला होता है।

महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए महिला व पुरुष दोनों की मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव जरूरी है। एक ऐसे समाज का विकास करना होगा जिसमें महिलाओं को समान समझा जाता हो, जहां परिवारों द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए अवसर कम नहीं किए जाते हों, और जहां बेटियों से बेटों के समान व्यवहार किया जाता हो।

महिलाओं की यौनिकता के प्रति भी दृष्टिकोण में बदलाव जरूरी है। यौन रूप से प्रताड़ित या बलात्कार की शिकार महिला को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए और न सामाजिक रूप से उसे दोषी ही ठहराया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर यौन हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। महिलाओं की शिकायतों पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अदालतों को भी चाहिए कि बलात्कार व यौन हिंसा के मामलों को तेजी से निपटाएं।

5.4 सांगठनिक प्रयास : सशक्तिकरण के लिए एकजुटता

बिहार में गरीब महिलाओं के विकास के लिए सांगठनिक प्रयास राजनीतिक आंदोलनों से उभरा। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में एनजीओ और सदस्यता आधारित संगठनों से हुई। 1990 के दशक के आरंभ में खासतौर पर राज्य द्वारा प्रोत्साहन और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बाद इसका विस्तार काफी तेजी से हुआ।

संगठन निर्माण एक प्रक्रिया है जिसके जरिए असंगठित क्षेत्र की महिलाएं अपनी स्थितियों में सुधार के लिए एकजुट होती हैं। सशक्तिकरण और विकास अधिकांश संगठनों के लक्ष्य हैं हालांकि ट्रेड यूनियन अधिकार आधारित सशक्तिकरण और सहकारी समितियां विकास पर जोर देती हैं। कुछ गैर सरकारी संगठनों का जोर स्वास्थ्य जैसे एक ही मुद्दे पर होता है जबकि अन्य सशक्तिकरण और विकास कार्य दोनों पर जोर देते हैं।

सांगठनिक प्रयास का राज्य मॉडल 'समावेशी विकास की कार्यनीतियों' के एक भाग के रूप में गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से शुरू हुआ और उसके बाद प्रत्यक्ष संगठन निर्माण और खासतौर पर स्व सहायता समूह के गठन के रूप में परिणत हुआ। 1990 के दशक में महिला विकास निगम का गठन व पिछले दशक में प्रदेश स्वास्थ्य सोसाइटी और बिहार ग्रामीण जीविका उन्नयन समिति (बीआरएलपीएस) राज्य की ओर से की गई कुछ महत्वपूर्ण पहल हैं।

ट्रेड यूनियन मॉडल पारंपरिक रूप से संगठित क्षेत्र से जुड़ा था। इसने असंगठित क्षेत्र में ट्रेड यूनियन की तर्ज पर संगठन निर्माण में एक नया आयाम हासिल किया। बिहार घरेलू कामगार यूनियन(घरेलू कामगारों के लिए), बिहार बीड़ी मजदूर कांग्रेस(बीड़ी कामगारों के लिए) और बिहार घरखाता मजदूर यूनियन(घरखाता कामगारों के लिए), एनएएसवीआई फेरी विक्रेता संगठनों का एक देशव्यापी परिसंघ है। इन सभी का मुख्य जोर सशक्तिकरण और अधिकारों पर है।

सेवा (स्वाश्रयी महिला सेवा संघ) भी एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है जो महज एक संगठन नहीं बल्कि आंदोलन बन चुका है। यह तीन आंदोलनों का संगम है–श्रम आंदोलन, सहकारिता आंदोलन और महिला आंदोलन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवा स्वावलंबी महिलाओं का आंदोलन है जिसमें वे खुद आगेवान हैं। गांधीवादी सिद्धांत और विचारधारा सेवा की प्रेरणा शक्ति है जो सदस्यों के लिए पूर्ण रोजगार (घरेलू स्तर पर) और 'आत्मनिर्भरता' के लक्ष्यों को पूरा करने में सहारा देती है।

सहकारिता मॉडल सहकारिता के सिद्धांतों पर किसी आर्थिक कार्य को सामूहिक रूप में करने के मानवीय प्रयासों को संगठित करने या एकत्रित करने का एक तरीका है। इस बात के अधिकाधिक अनुभवजन्य साक्ष्य हैं जो संकेत देते हैं कि बाजार, राज्य और संस्था की विफलताओं को दूर करने में सहकारी संस्थाओं से मदद मिल सकती है (विश्व बैंक, 2007)। बिहार अपेक्षाकृत अधिक प्रगतिशील सहकारिता अधिनियम, स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 अपनाने वाले आरंभिक राज्यों में से एक था। सर्वाधिक सक्रिय और प्रभावी सहकारिता महासंघों में से एक सुधा दूध परिसंघ है।

लघु वित्त संस्थाएं विशिष्ट वित्तीय सेवाओं के साथ महिलाओं तक पहुंचने का एक नवविकसित तरीका है। इसमें सांगठनिक तत्त्व संयुक्त दायित्व समूहों के रूप होते हैं जहां महिलाएं एक दूसरे की गारंटी के रूप में खड़े होने के लिए समूहों में संगठित होती हैं। बिहार में स्थित और कार्यरत लघु वित्त संस्थाएं 15 हैं जबकि अन्य 10–12 लघु वित्त संस्थाएं अन्य राज्यों के साथ कार्य कर रही हैं। ये लघु वित्त संस्थाएं राज्य में लगभग 10.19 प्रतिशत ग्राहकों को कवर करती हैं जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं।

सांगठनिक प्रयास में राज्य के सीधे आने से सिविल सोसायटी के संगठन पीछे छूट जाते हैं। लेकिन दोनों ही प्रयास महत्वपूर्ण हैं। राज्य द्वारा गठित स्व सहायता समूह और अन्य संगठनों के साथ–साथ सभी प्रकार की सिविल सोसायटी के सांगठनिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

अध्याय 6

सिफारिशें

6.1 महिला श्रम जीवनी आयोग : असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक आयोग

विशेष कार्य बल महिला श्रम जीवनी आयोग (एमएसजेए) के गठन की सिफारिश करता है जो बिहार की करोड़ों महिलाओं को असंगठित रोजगार के दायरे में लाएगा। इसका मुख्य जोर महिला कौशल्य, महिला रोजगार और महिला सांख्यिकी पर होगा।

6.2 महिला रोजगार : महिला रोजगार को बढ़ावा

आयोग का उद्देश्य रोजगार तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना और कार्य में नियमित भागीदारी सुनिश्चित करना है। महिलाएं वर्तमान में जो काम कर रही हैं, इससे उसे मान्यता मिलेगी और उसका प्रचार किया जाएगा। इस काम के लिए सभी कमजोर कड़ियों को जोड़ने व मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। इसे उद्योगों व सेवा क्षेत्र के साथ जोड़ा जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं, खासकर सेकंडरी पास युवतियों को रोजगार मिल सके। इससे कृषि और गैर–कृषि क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। शिल्प कार्य के क्लस्टर विकास और विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में प्रशिक्षण और संपर्क के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

आयोग का दृष्टिकोण स्थानीय विकास का होगा। यह स्थानीय संसाधनों को विकसित करेगा और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा। यह गांव के स्तर पर सरकारी योजनाओं को एक साथ सम्मिलित करेगा और सामुदायिक संगठन को निर्माण को प्रोत्साहित करेगा।

महिलाओं को रोज के काम में आने वाली जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है उनमें घर के भीतर और घर के बाहर आनेवाली दोनों कठिनाइयां शामिल हैं। घर के भीतर अन्य घरेलू दायित्वों जैसे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल आदि के कारण रोजगार संबंधी कार्य के लिए समय सीमित रह जाता है। घर के बाहर परिवहन व सुरक्षा संबंधी चिंताएं उसके रोजगार के अवसर कम कर देती है इसलिए मिशन की भूमिका ऐसे उत्साहवर्धक उपयुक्त संस्थागत उपाय करना होगा जो बच्चों की देखभाल, पानी और रसोई गैस की उपलब्धता में सुधार और स्थानीय रूप से अन्य संबंधित कठिनाइयों को दूर कर सके।

6.3 महिला कौशल्य

महिलाएं और युवतियां मुख्य रूप से गरीबी और कौशल की कमी के कारण मुख्यधारा के रोजगार में पुरुषों से पीछे हैं। राज्य की समृद्धि और महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए युवतियों के कौशल्य विकास पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। ये प्रयास राज्य में लड़कियों की शिक्षा के प्रसार की कोशिशों जैसे ही होने चाहिए।

यह सिफारिश की जाती है कि कौशल विकास पर विशेष जोर देने के लिए राज्य सरकार को एक स्वतंत्र महिला कौशल मिशन बनाना चाहिए। इसे राज्य कौशल विकास मिशन का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों को ओपन स्कूल के माध्यम से 10 वीं और 12 वीं की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देना और इन छात्रों के लिए कक्षाएं आयोजित कराना मिशन के कार्य का अभिन्न अंग होगा। साथ ही यह व्यावसायिक कौशल पर भी जोर देगा।

स्थानीय रोजगार सृजन के लिए कई प्रकार के कौशल का विकास किया जाना चाहिए। ये कौशल विकास सभी शैक्षणिक स्तरों पर किए जाने चाहिए। ये अल्पकालिक पाठ्यक्रमों से लेकर पूर्णकालिक पोलिटेकनिक पाठ्यक्रमों तक हो सकते हैं।

6.4 महिला सांख्यिकी : महिलाओं के काम की गणना

हालांकि महिलाएं श्रमशक्ति के रूप में सक्रिय हैं फिर भी अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास में उनके योगदान को शायद ही कोई महत्व दिया जाता है। उन्हें केवल गृहणी समझा जाता है। इस धारणा की पुष्टि विशेष रूप से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों से होती है जो काम की भागीदारी में उनके निम्न स्तर को दर्शाते हैं। लेकिन हमारी रिपोर्ट बिल्कुल अलग तस्वीर देती है।

यह विसंगति सालों से चली आ रही है और काम की परिभाषा के कारण नहीं है। हालांकि सर्वेक्षकों को प्रशिक्षण देने और संवेदनशील बनाए जाने से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा आंकड़ों के संग्रह में सुधार हुआ है फिर भी ये आंकड़े देखी गई सच्चाई से मेल नहीं खाते हैं। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि महिला श्रम जीवनी आयोग स्वतंत्र प्रतिष्ठित एजेंसी के माध्यम से महिलाओं के रोजगार के आंकड़े एकत्र करे। यह महिलाओं के काम के पहलुओं के बारे में भी सूचना एकत्र कर सकता है जोकि अन्यथा उपलब्ध नहीं है। जैसे कि प्रसव या विवाह, अनेक कार्यों में भागीदारी जैसे कारणों से नियमित कार्य छूटता है या नहीं और उनके सापेक्ष महत्व आदि।

6.5 आयोग का कार्य : समन्वय और विकेंद्रण

आयोग का प्रमुख कार्य राज्य भर में असंगठित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की पहचान करना, मौजूदा कार्यक्रमों का समन्वय और विलयन और गांव के स्तर तक विकेंद्रीकरण करना होगा। इसके लिए सरकारी जिला कार्यालयों के मौजूदा ढांचों का उपयोग किया जा सकता है। मौजूदा एनजीओ और स्वयं सहायता समूहों को श्रम जीवनी आयोग में शामिल किया जा सकता है ताकि उपलब्ध संरचनाओं और ऊर्जा का इस्तेमाल कमजोर महिलाओं तक पहुंचने में किया जा सके।

रोजगार के अवसर

- सेकंडरी और उससे अधिक शिक्षित महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों की पहचान करना जिसमें सरकारी नौकरी, स्वरोजगार व निजी क्षेत्र शामिल है। जोर स्थानीय रोजगार पर रहेगा।
- कई महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने के बाद काम के लिए शहरी क्षेत्रों में आती हैं। उन्हें रहने के लिए सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। हम यह सुझाव देते हैं कि हर जिला मुख्यालय में नौकरीपेशा महिला के लिए कम से कम एक आवास होना चाहिए।

कृषि और पशुपालन

- यदि महिलाएं अपने खेत में काम करती हैं तो उन्हें किसान के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और किसान पहचान पत्र खासतौर पर किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाना चाहिए।
- महिला किसानों का समूह स्व सहायता समूहों की तर्ज पर बनाया जाना चाहिए। किसान समूहों को अपने सदस्यों के बीच वितरण के लिए कृषि संबंधी सहायता, बीज और उर्वरक दिया जाना चाहिए। उन्हें बाढ़ की रोकथाम, बांध बनाने और छोटे चैक डैम बनाने आदि में भी काम दिया जा सकता है।
- श्रम विभाग को कृषि मजदूरों की मौजूदा मजदूरी दरों का अध्ययन करना चाहिए और साथ ही मौजूदा न्यूनतम मजदूरी दरों का प्रचार करना चाहिए।
- सुधा दुग्ध सहकारी समिति को महिलाओं की डेयरी सहकारिताओं को प्रोत्साहित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह इस क्षेत्र में महिलाओं के प्रशिक्षण, लामबंदी और समर्थन के लिए महिला संगठनों की मदद ले सकता है।

घरखाता कामगार और शिल्पकार

- मधुबनी चित्रकला के कलाकार, बांस का सामान बनानेवालों ,सुजनी कसीदाकारी करनेवालों, बुनकरों आदि के शिल्पकार क्लस्टर बनाए जाएं और इन्हें जरूरी आधरभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इनमें कच्चे माल और विपणन सुविधाओं तक पहुंच शामिल है। क्लस्टर विकास की जिम्मेदारी एनआईएफटी, पटना की होनी चाहिए।
- न्यूनतम पीस दर की मजदूरी के कार्यान्वयन में सुधार हो और पहचान पत्र के माध्यम से प्रमाणन दिया जाए ताकि कामगार सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले सकें जिसके वे हकदार हैं।
- घरखाता कामगारों को उनके पेशे से संबंधित छोटी–मोटी सहायता जैसे अगरबत्ती कामगारों के मामले में पेडल मशीन उपलब्ध कराकर उनकी उत्पादकता और आमदनी बढ़ाई जा सकती है।
- घरखाता कामगारों और कारीगरों के लिए कार्यस्थल और घर एक ही है। इसलिए घर के उन्नयन के लिए सब्सिडी दी जानी चाहिए।

वन मजदूर

- वन अधिकार अधिनियम का अक्षरशः पालन किया जाए और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत वन भूमि पुरुषों और महिलाओं के संयुक्त नाम पर दी जाए।
- लघु वन उत्पाद के संग्रहकर्ताओं की सहकारी समितियां बनाई जाएं जैसी मध्य प्रदेश में बनाई गई हैं।

निर्माण कामगार और ईंट भट्टा मजदूर

- सभी निर्माण कामगारों और ईंट भट्टा मजदूरों का सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के साथ पंजीकरण कराया जाना चाहिए और उन्हें दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सेवा, आवास, छात्रवृत्ति आदि की सुविधाएं दी जानी चाहिए।
- कार्यस्थल यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निराकरण) अधिनियम, 2013 के तहत यौन हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के विशेष उपाय किए जाने चाहिए।

शहरी कामगार

- फेरी विक्रेता (रोजगार सुरक्षा और विनियमन) अधिनियम 2014 का कार्यान्वयन बिहार राज्य में किया जाना चाहिए। महिला फेरी विक्रेताओं के लिए अभिप्रेत महिला बाजार हर वार्ड में वहां के आम बाजारों में ही होने चाहिए।
- नगरपालिकाओं में घरेलू महिला कामगारों के पंजीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जाना चाहिए और उनकी शिकायतों के लिए भी एक स्थान होना चाहिए।
- कचरा बीनने वालों और सफाई कर्मियों को नगरीय अपशिष्ट संग्रह व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उन्हें यूएलबी के द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए और अपशिष्ट निपटान प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिए।

6.6 श्रम कानून

- श्रम कानून सामाजिक न्याय के संवर्धन और कुछ हद तक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का एक सशक्त साधन है।
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया जाना चाहिए।
- कार्यस्थल यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निराकरण) अधिनियम, 2013 बिहार में लागू किया जाए और इसमें असंगठित क्षेत्र को शामिल किया जाए।
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मौजूदा कल्याण निधियों खासतौर पर सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि और बीड़ी कामगार कल्याण निधि को सक्रिय किया जाए।
- असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।
- बिहार सरकार को इस अधिनियम की धारा 3(4) के तहत राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड स्थापित करना चाहिए और अधिनियम के तहत योजनाएं अधिसूचित की जानी चाहिए।
- बिहार श्रम विभाग के पास अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार योजना व बिहार असंगठित कामगार व शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा जैसी कुछ प्रभावी योजनाएं हैं। इन व ऐसी ही अन्य योजनाओं को एक अधिनियम के तहत लाने की जरूरत है। इसके लिए हमने एक बिल *बिहार असंगठित व प्रवासी कामगार कल्याण अधिनियम, 2014* तैयार किया है। इसके मुख्य बिंदु हैं:

क. अधिनियम के तहत एक शहरी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए।

ख. इसमें सभी असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं होनी चाहिए।

ग. इसमें मौजूदा योजनाओं को समाहित किया जाना चाहिए।

घ. इसका कार्यान्वयन कामगार सुविधा केंद्रों के माध्यम से विकेंद्रित होना चाहिए।

6.7 वित्तीय समावेश

- सामाजिक सच्चाइयों को ध्यान में रखकर महिलाओं के लिए केवाईसी मानकों को पुनः निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।
- बैंक एजेंट की प्रणाली में सुधार और उन्नयन किया जाना चाहिए। खासतौर पर महिलाओं को बैंक एजंट के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।
- बैंकिंग में महिलाओं के लिए क्रेडिट की सीमा पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत की जानी चाहिए।
- महिलाओं की बचत और साख सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- स्व सहायता समूहों पर जोर दिया जाना चाहिए और उनकी गुणवत्ता और टिकाऊपन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- राशि प्रेषण (रेमिटेंस), बीमा और पेंशन सेवाओं खासतौर पर एनपीएस–लाइट जैसी सेवाओं पर जोर दिया जाना चाहिए।

6.8 कौशल

- स्कूल और कामगारों के बीच अंतर को पाटने के लिए 10 वीं या 12 वीं के बाद लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कौशल प्रशिक्षण से रोजगार प्राप्त किया जा सकता है या फिर स्वरोजगार किया जा सकता है। इनमें कम्प्यूटर से संबंधित सेवाएं, स्वास्थ्य संबंधी कार्य जैसे टेकनीशियनों और पैरा नर्सिंग, वित्तीय सेवाएं, एकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, शिक्षा संबंधी सेवाएं, सौंदर्य देखभाल संबंधी सेवाएं, वस्त्र, फैशन डिजाइनिंग, खाद्य पदार्थ तैयार करना आदि शामिल हैं। संभावित प्रशिक्षणों की आवश्यकताओं की सूची स्थानीय रूप से विकसित की जा सकती है।
- शिक्षित लड़कियों के लिए सरकारी अग्रणी कार्यकर्ता जैसे आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, एएनएम, विकासमित्र आदि रोजगार के अच्छे अवसर हैं। लेकिन ये लड़कियां इन अवसरों का लाभ उठा सकें इसके लिए उन्हें अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है।
- महिलाओं के लिए कृषि एक महत्वपूर्ण कार्य है लेकिन अपनी उत्पादकता और आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों तक उनकी कोई खास पहुंच नहीं है। राज्य भर में विशेष रूप से महिला उन्मुख कृषि विज्ञान केंद्रों को व्यापक रूप से स्थापित किए जाने की जरूरत है जो विशेष रूप से उनके लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम चलाए। गैर सरकारी संगठन और विश्वविद्यालय भी इन केंद्रों को चला सकते हैं पर उनका कृषि विज्ञान तक सीमित होना कोई जरूरी नहीं।
- पशुपालन क्षेत्र में खासतौर पर सुधा सहकारी समिति ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण के अच्छे अवसर प्रदान कर सकती है। पशुओं के बेहतर प्रबंधन, सहकारी समितियों से जुड़े कार्य व पैरावैटरीनरी के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- गैर कृषि और वन्य गतिविधियों से नए और अनुपूरक रोजगार के अवसर मिलते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं: ककून पोषण, नर्सरी विकसित करना, लघु वन्य उत्पाद प्रसंसाधन।
- सुजनी, बुनाई, पेंटिंग, खादी आदि शिल्प कार्यों के लिए कौशल प्रशिक्षण। प्रशिक्षण में कौशल उन्नयन, नए डिजाइन और रंग, पैकेंजिग व विपणन शामिल है।
- निर्माण कौशल खासतौर पर राजमिस्त्री, छत बनाना, टाइलिंग, फ्लोरिंग, शौचालय निर्माण आदि।
- जैव खाद, पुनर्चक्रण सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कौशल।
- बेहतर वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय समावेशन व वित्तीय माध्यस्थता (जैसे बैंक एजेंट) के लिए वित्तीय साक्षरता।
- स्वास्थ्य कौशल, खासतौर पर दाई और छोटी–मोटी बीमारियों के लिए।
- सामुदायिक कार्रवाई के लिए कौशल विकास।

6.9 सांख्यिकी

- किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से महिला कामगारों की संख्या, काम/पेशे के प्रकार (अनेक प्रकार के पेशों सहित), आमदनी, काम की स्थितियां, कार्यदिवस आदि के बारे में सही जानकारी के लिए आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिए।
- इन आंकड़ों से जीडीपी के आंकड़ों में महिलाओं के योगदान को शामिल करने और सवंर्धित मूल्य व उत्पादकता की सही –सही माप करने में मदद मिलेगी। इससे महिलाओं का अपना आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और अपने दैनिक कार्यों के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता से उनका सशक्तिकरण होगा।
- वित्तीय सेवाओं के लिए स्त्री–पुरुष संबंधी अलग–अलग आंकड़ा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। निम्नलिखित एजेंसियों को लिंग के आधार पर लोगों की अपने तक पहुंच का पता लगाना चाहिए। एक तय समय के अंतराल पर इस संबंध में आंकड़ा जारी होते रहना चाहिए।

(क) बैंक

(ख) डाकघर

(ग) बीमा कंपनियां (खासतौर पर आरएसबीवाई और जेएसबीवाई)

(घ) पीएफआरडीए और अन्य पेंशन सेवा प्रदाता

(ड़) बचत और साख सहकारी समितियां

6.10 स्वास्थ्य

पेशागत स्वास्थ्य

- बिहार के प्रमुख रोजगार क्षेत्रों में, खासतौर पर जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं, पेशागत स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर शोध के लिए निवेश किया जाना चाहिए। ऐसे सुरक्षित और उपयुक्त उपकरणों का विकास किया जाना चाहिए जिससे मजदूरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ–साथ उत्पादकता में वृद्धि हो।
- पेशागत स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसे कार्यान्वित किए जाने के बाद अंततः इसे सार्वभौम स्वास्थ्य सेवा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

मातृ एवं प्रजनन स्वास्थ्य

- जन्म से पहले लिंग निर्धारण परीक्षण के विरूद्ध अभियान चलाया जाना चाहिए।
- पोषण, प्रसवपूर्व और प्रसव के बाद देखभाल के महत्व सहित सुरक्षित मातृत्व पर शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश किया जाना चाहिए।
- 108 एंबुलेंस सेवा के द्वारा निःशुल्क आपात सेवा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- स्थानीय स्तर पर मातृ स्वास्थ्य की देखभाल के सभी पहलुओं में दाइयों को शामिल किया जाना चाहिए। प्रजनन क्षमता कम करने और प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार के लिए सभी उपकेंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भ निरोधकों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। आरटीआई, एसटीआई और एचआईवी एवं एड्स का आरंभ में ही पता लगाने और स्क्रीनिंग को बढ़ावा देने के लिए जांच शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। स्कूल व स्कूल से बाहर किशोर लड़के–लड़कियों और शिविरों में भाग लेने वाली महिलाओं और पुरुषों को, प्रजनन स्वास्थ्य पर विशेष जोर देते हुए, मूलभूत 'शारीरिक साक्षरता' सुनिश्चित की जानी चाहिए।

6.11 जल, स्वच्छता और आवास

- हर घर में, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में, नल और शौचालय में निवेश किया जाना चाहिए ताकि खुले में शौच किया जाना समाप्त हो सके। केंद्रीय और राज्य स्तर पर जल और स्वच्छता में अपेक्षाकृत अधिक निवेश किया जाना चाहिए।
- वीएचएसएनसी, आरकेएस, सिविल सोसाइटी संगठनों, स्कूलों और कॉलेजों में सफाई और स्वच्छता के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि खुले में शौच जाने की प्रथा बिलकुल खत्म हो और कूड़े का निपटान हो सके।
- भूमि धारण का अधिकार न होने और मलिन बस्तियों के विस्थापन के भय से रहन–सहन और काम की स्थितियां दोनों में अनिश्चितता, असमंजस व असुरक्षा का भाव रहता है। असंगठित कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि वे जिस जगह पर रह रहे हैं वहीं पर उनके लिए आवासीय क्षेत्र का विकास किया जाए।

6.12 स्वास्थ्य प्रणाली और अवसंरचना

- सभी केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सीएचसी/एफआरयू में सभी अनिवार्य दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध हों।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जाने चाहिए। जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के सेवा समय को ठीक करना और उपयुक्त रेफरल सेवाएं विकसित करना।

6.13 स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक कार्रवाई

- सिविल सोसायटी संगठनों को वीएचएसएनसी के क्षमता निर्माण का कार्य सौंपा जाना चाहिए और उनके कामकाज में सहायता की जानी चाहिए। वीएचएसएनसी को स्थानीय स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कुपोषण के निराकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6.14 स्वास्थ्य बीमा

- बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के अनुभवों की इसे अपेक्षाकृत अधिक समावेशी बनाने की दृष्टि से समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही इसे स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए ताकि कामगारों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उनके घर पर ही मिले और उन्हें अस्पताल में भर्ती न करना पड़े।

6.15 हिंसा से सुरक्षा

- कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निराकरण) अधिनियम 2013 को असंगठित क्षेत्र में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
- हर घर में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि अंधेरे में खुले में शौच जाने से हिंसा की आशंका रहती है।
- हर जिले में अल्पावधि आवास की सुविधा।
- महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए किशोरों में जागरूकता अभियान को एक कार्यक्रम के रूप में अपनाया जाना चाहिए।
- महिला पंचायत सदस्यों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता ताकि वे महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कार्रवाई कर सकें।
- महिला सामख्या हिंसा समिति के मॉडल को व्यापक रूप में लागू किया जाना चाहिए।
- महिलाओं, जिन्हें मौखिक और शारीरिक दोनों तरह के हमले झेलने पड़ते हैं, के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और हमलावरों के खिलाफ नकारात्मक दृष्टिकोण तैयार करने में मीडिया को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यह उसका दायित्व भी है।

6.16 सांगठनिक प्रयासों को प्रोत्साहन

- महिला के नेतृत्व वाले संगठनों या महिलाओं पर केंद्रित संगठनों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।
- सभी महिला सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को विशेष छूट दी जानी चाहिए। जैसे कि उत्पादों और बिक्री के लिए बिक्री कर/वैट में छूट। इससे नई सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा और वे टिकाऊ बन सकेंगी।
- स्वयं सहायता समूहों और उनके परिसंघों सहित सभी महिला संगठनों का क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए। महिला संगठनों और सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण निधि बनाई जानी चाहिए ताकि इन संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए जा सकें।
- विशेष रूप से मजदूरों से संबंधित मुद्दों के हल के लिए बनाई गई समितियों जैसे कि न्यूनतम मजदूरी समिति, ठेका मजदूर समिति आदि में आधे सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।

6.17 सरकारी योजनाएं

- नकदी अंतरण सामाजिक सुरक्षा का सबसे प्रभावी तरीका है। खासतौर पर शर्तरहित और नियमित अंतरण (मूल आय) विशेष रूप से मददगार साबित हुआ है। यह प्रायोगिक स्तर पर किया जाना चाहिए और धीरे–धीरे बढ़ाया जाना चाहिए।
- स्थानीय स्तर पर स्थानीय संरचनाओं के माध्यम से योजनाओं का समन्वयन व विलयन किया जाना चाहिए। स्थानीय प्रभावी संगठन को 'कामगार सुविधा केंद्र' या 'कल्याण सूचना केंद्र' के रूप में नामित और प्रत्यायोजित किया जाना चाहिए।
- स्थानीय विकास वार्ड पार्षदों, पीआरआई सदस्यों और समुदाय के आगेवान लोगों के माध्यम से (सिक्किम मॉडल) किया जाना चाहिए। उन्हें समुदाय के महत्वपूर्ण विकास के मुद्दों के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिए। सामुदायिक नेतृत्व में समग्र विकास का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
- गैर सरकारी संगठनों, कार्यकर्ताओं और अन्य स्थानीय संगठनों की मदद से और सूचना अभियानों के माध्यम से प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में बड़े पैमाने पर जागृति पैदा की जानी चाहिए।
- लाभार्थियों को योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए विकासमित्रों का विस्तार किया जाना चाहिए।

महिलाओं की आवाज

कुछ जमीनी सुझाव

अपने कार्य और जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय महिलाओं के अपने विचार और समाधान होते हैं। उनके कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं :

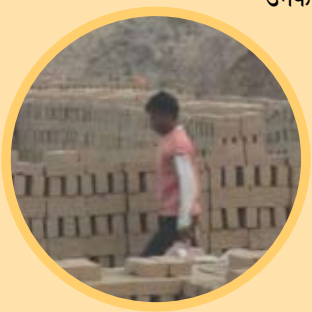

छः महीने के प्रवास पर जमुई गए ईंट भट्टा कामगारों ने उस क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने की अनुमति मांगी ताकि अशिक्षित होने के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई खराब न हो।

सीतामढ़ी और मुज़फ्फरपुर में लाख की चूड़ी बनानेवाली महिलाओं ने सुझाव दिया कि चूड़ी बनाने का प्रशिक्षण देने से उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होगा क्योंकि उन्हें जयपुर के चूड़ी निर्माताओं से कठिन प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है। उनके डिजायन नए हैं और वे नई-नई किस्में भी देते हैं।

गया जिले के कुसडीह की महिलाओं ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने जन स्वास्थ्य केंद्र की जगह को अपने कब्जे में ले लिया है इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं से वे महरूम हो गई हैं। उन्होंने जन स्वास्थ्य केंद्र से सीआरपीएफ कैंप को तत्काल हटाए जाने की मांग की।

जमुई के सिवानडीह और पटना के घंघडीह व बख्तियारपुर की महिलाएं पारंपरिक दाई थीं और वे चाहती थीं कि उन्हें वैतनिक प्रोत्साहन के साथ स्वास्थ्य प्रणाली में मान्यता दी जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में दाइयों को प्राथमिकता दी जाए।

पश्चिम चंपारण में सब्जी की खेती और बागवानी करनेवाली महिलाओं ने अपने गांव के नजदीक कोल्ड स्टोरेज की मांग की।

सीतामढ़ी के धानघर कथौल गांव की महिलाओं ने कहा कि राशन की दुकानों पर किसी प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए ताकि दुकानदारों को समय पर व पूरी मात्रा का राशन वितरण करने के लिए विवश किया जा सके।

महिलाओं की आवाज

पटना के फुलवारी शरीफ की महिलाओं ने सरकार से सार्वजनिक शौचालय की मांग की। मलिन बस्तियों के घर इतने सघन हैं कि वहां शौचालय बनाने की जगह नहीं है।

रोहताश जिले की पहाड़ियों में माधा के गांववालों ने घुमंतू क्लिनिक की मांग की क्योंकि अस्पताल पहुंचना काफी कठिन है और इसमें बहुत अधिक समय लगता है। गांव में अस्पताल की सुविधा नहीं होने के कारण कई लोग पहाड़ों में इलाज के बिना मर जाते हैं।

महिलाओं ने सुझाव दिया कि सरकार द्वारा सामान्य रूप में स्वास्थ्य के बारे में और विशेष रूप से गर्भ संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूकता शिविर लगाया जाना चाहिए। विस्तृत लिखित निर्देशों की बजाए पोस्टरों और दीवार पर पेंटिंग के जरिए चित्रात्मक संदेश अधिक मददगार साबित होंगे क्योंकि उनमें से अधिकांश निरक्षर हैं।

कैमूर में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने कहा कि महिलाओं में उद्यमिता के विकास के लिए बैंकों ने कर्ज दिया था लेकिन अधिकांश कार्य सफल नहीं हो सके क्योंकि उन्हें दिया गया प्रशिक्षण न तो उनकी आवश्यकता पर आधारित था, न ही स्थानीय संसाधन और मांग पर आधारित। कसीदाकारी कार्य के लिए महिलाओं के एक समूह को दिए गए कर्ज का उपयोग इसकी बजाए उनके द्वारा पट्टे पर जमीन खरीदने के लिए किया गया। उन्होंने इस पर खेती की और अच्छा पैसा कमाया। उन्होंने सुझाव दिया कि बैंक उन्हें उन कार्यों के लिए कर्ज दें जो वे कर सकें जैसे कि साझा खेती।

गया जिले के पाली गांव में गर्मियों में पानी का काफी गहरा संकट था इसलिए उनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग पानी की थी।

गया के पावा टोला की महिलाओं ने शौचालय और उसमें भी व्यावहारिक शौचालय की मांग की क्योंकि शौचालय के छोटे-छोटे ढांचों से उन्हें कोई खास मदद नहीं मिलती थी।

आभार

असंगठित क्षेत्र की महिला कामगारों पर विशेष कार्य बल के गठन का विचार बिहार में महिला कामगारों की समस्याओं को लेकर लंबे समय से चल रहे विभिन्न संघर्षों की नतीजा था। इन संघर्षों के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि राज्य की अर्थव्यवस्था में इन महिलाओं की भागीदारी और योगदान के बारे में ठोस जानकारी का अभाव है इसलिए उनकी स्थिति और जरूरतों के बारे में कुछ किया भी नहीं जाता। ऐसे में असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए एक खोजपरक अध्ययन की आवश्यकता थी। सेवा भारत ने जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सामने यह प्रस्ताव रखा तो उन्होंने राज्य सरकार को शोध आधारित महिला कामगार आयोग स्थापित करने के लिए सेवा भारत के साथ मिलकर काम करने को कहा। इसलिए सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगी और उनके योगदान के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगी। साथ ही, सेवा आंदोलन की संस्थापक श्रीमती ईला भट्ट को भी उनकी प्रेरणा और उनके पथ प्रदर्शक अध्ययन 'श्रम शक्ति' के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी। उनके इस अध्ययन ने हमारा मार्गदर्शन किया।

मैं आभारी हूं बिहार सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति जिन्होंने हमारी मदद की और उत्साह बढ़ाया। विशेष रूप से श्री अनूप मुखर्जी, श्री व्यास जी और श्री चंचल कुमार को मेरा धन्यवाद जिन्होंने विशेष कार्य बल गठित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया। मैं आभारी हूं योजना विभाग के प्रधान सचिव श्री विजय प्रकाश की, जिन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से हमारा मार्गदर्शन किया और मुख्य सचिव श्री अशोक कुमार सिन्हा की जिन्होंने इस रिपोर्ट को अंतिम रूप से तैयार करने में हमें प्रोत्साहित किया। मैं इस परियोजना के प्रथम समन्वयक रहे डॉ. बिशेश्वर मिश्रा को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इस अध्ययन के आरंभिक चरण में हमारा मार्गदर्शन किया।

इस अध्ययन के दौरान आयोजित कार्यशालाओं और संगोष्ठियों से हमारी जानकारी और विचारों को सुदृढ करने में मदद मिली। मैं खासतौर से आभारी हूं बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष श्री अवधेश नारायण सिंह की जिन्होंने अपनी प्रभावी उपस्थिति से इस अध्ययन के उद्घाटन सत्र की शोभा बढ़ाई। कार्यशाला और परामर्श सत्रों के अध्यक्ष रहे श्री व्यास जी (प्रधान सचिव, श्रम और बाद में स्वास्थ्य), श्री विजय प्रकाश (प्रधान सचिव, योजना), श्री सुभाष शर्मा (प्रधान सचिव, श्रम), श्री रजित पुनिहानी (प्रधान सचिव, समाज कल्याण), श्रीमती रश्मि सिंह (महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार), श्री ए एम प्रसाद (पूर्व आईआरएस), श्री वी एस चंद्रशेखर, (पैकार्ड फाउंडेशन), श्री अरविंद चौधरी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जीविका) और बहन सुधा वर्गीज (संस्थापक, नारी गुंजन) के प्रति भी मेरा हार्दिक धन्यवाद। मैं अमृता दत्त, राफे खान, नंदिता गुप्ता, शिवानी सतिजा, देव प्रसाद मजूमदार, नीरज कुमार, इरिना सिन्हा और पुष्पेंद्र के प्रति भी आभारी हूं जिन्होंने इन कार्यशालाओं में बेहद सूचनाप्रद शोध निबंध प्रस्तुत किए।

विभिन्न क्षेत्रों की जानी–मानी हस्तियों से प्राप्त टिप्पणियां और सुझाव इस रिपोर्ट की गुणवत्ता को बढ़ाने में काफी सहायक रहे हैं। इसके लिए मैं पटना विश्वविद्यालय के प्रो. नवल किशोर चौधरी, एडीआरआई के सदस्य–सचिव डॉ.शैबाल गुप्ता, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ इकॉनामिक स्टडीज के निदेशक डॉ. प्यारे लाल, आईएमए के अध्यक्ष डॉ. राजीव रंजन प्रसाद, विश्व बैंक के डॉ. जॉन ब्लूमक्विस्ट, पटना विश्वविद्यालय के प्रो. भारती एस कुमार, प्रो. पद्मलता ठाकुर, निदान के अरविंद सिंह, सीओएमएफइडी (सुधा) की प्रबंध निदेशक हरजोत कौर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के निदेशक संजय कुमार, सुहेला खान (संयुक्त राष्ट्र,महिला), महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक वंदना प्रेयसी, सादत हसन, निवेदिता शकील, मुकेश चंद्र शरण, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की निशा झा, कविता श्रीवास्तव, मीरा दत्ता, डा. नलिन भारती, प्रयास के डॉ. सुमन लाल, वीणा उपाध्याय, बहन लीला, बहन पूनम, जागो बहन की शांति ओझा, शिवानी चौधरी, नगमा तनवीर, नूतन चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता कंचन बाला, मदन जी, मजदूर नेता राम उदर झा और गजनफर नवाब सभी के प्रति आभारी हूं।

इस अध्ययन में अधिकांश जानकारियां और अंतर्दृष्टियां हमें विभिन्न जिलों के भ्रमण के माध्यम से प्राप्त हुईं। इसके लिए मैं श्रम विभाग के अधिकारियों–गया में श्रीनिवास एन सिंह, बेतिया में आदित्य राज हंस, मुजफ्फरपुर में मोख्तार अहमद, पूर्णिया में सुधांशु, सीतामढ़ी की जिला मजिस्ट्रेट अश्विनी डी ठाकरे, मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट संतोष कुमार, पश्चिम चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट शशिधर श्री, राष्ट्रीय सूचना केंद्र के राजीव सिन्हा और क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान दौरा किए गए जिला सूचना केंद्रों के अधिकारियों को विशेष रूप से धन्यवाद देती हूं। उनके सहयोग और जानकारी साझा करने से ही यह अध्ययन इतना व्यापक और सूचनाप्रद हो पाया है।

मैं इस अध्ययन में शामिल सभी जिलों के वार्ड सदस्यों और पंचायत सदस्यों का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने खुले दिल से हर प्रकार का सहयोग दिया। इससे जमीनी स्तर पर परामर्श की प्रक्रिया काफी सरल हो गई। मैं रोहताश एजुकेशन असिस्टैंस प्रोग्राम (आरईएपी) को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। उनके सहयोग के बिना रोहताशगढ़ के दुर्गम रास्तों और जोखिम भरी पत्थर की खानों का सफलतापूर्वक दौरा करना कभी भी संभव नहीं था। मैं नाबार्ड की सहायता से महिलाओं के विकास के लिए गंगा के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में चल रहे कार्यक्रम प्रियदर्शिनी; पश्चिम चंपारण में चल रहे कार्यक्रम ग्रामीण शिक्षा और

विकास (आरईएडी); कृषि विज्ञान केंद्र, श्रम भारती; ग्राम भारती, जमुई व महिला सामख्या, मुजफ्फरपुर के प्रति भी आभारी हूं। आंकड़े संग्रह के दौरान इनके सहयोग से मुश्किल रास्ते भी आसान हो गए। क्षेत्र के कार्यों में सहयोग के लिए मैं बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का भी धन्यवाद करती हूं ।

'महिलाओं की आवाज' (वॉयसेज) की रिसर्च टीम और टीम की समन्वयक, सुष्मिता गोस्वामी को उनके अदम्य उत्साह और गहरी समझ के लिए विशेष धन्यवाद। शोधकर्त्ता वंदना ठाकुर, पूनम सिंह, सरिता ठाकुर, मेनका कुमारी का भी आभार जिन्होंने कठोर मेहनत करते हुए जमीनी अध्ययन किया और हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया। साथ ही कविता पाठक को विशेष धन्यवाद जिनके सहयोग के बिना यह कार्य पूरा नहीं किया जा सकता था।

इस अध्ययन की प्रामाणिकता और इसके आंकड़ों की विश्वसनीयता प्रदत्त अध्ययनों के लेखकों के कठिन परिश्रम का नतीजा है। मैं इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा किए गए उच्च स्तरीय अध्ययन का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगी जिसके बिना रोजगार और कार्य संबंधी आंकड़े मिलना संभव नहीं हो पाता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, शोध माध्यम व महिला आवास ट्रस्ट की भी मैं आभारी हूं। साथ ही व्यैक्तिक स्तर पर किए गए अध्ययनों के लिए–नीरज कुमार, नीलम गुप्ता, अपराजिता सिंह, डॉ. प्रीति रस्तोगी, इंदु बी सिन्हा, डॉ. नेओमी पटरौ और कविता पांडेय के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती हूं। इन सभी ने अपने ज्ञान और प्रयास का उदारतापूर्वक योगदान किया।

सेवा भारत की टीम सहयोग के लिए सदैव तत्पर रही। खासतौर पर माधुरी सिन्हा, अर्चना टोप्पो, संचिता मित्रा, स्मरणिका नायक, नूतन सिंह, सुधा, अनिता, फरहाना, निधि, पिंकेश, भारती, पूनम पांडेय और अन्य।

हमारी संपादक सुयशी और डिजायनर नवकला व ऋतु को बहुत–बहुत धन्यवाद जिनकी कड़ी मेहनत से यह रिपोर्ट वर्तमान स्वरूप में सामने आ सकी।

यह रिपोर्ट अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में साथ–साथ तैयार की जा रही थी। मैं नीलम गुप्ता को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी जिनकी देखरेख में हिंदी की रिपोर्ट तैयार हुई। जहां कही आवश्यकता पड़ी, उन्होंने अनुवाद भी किया। मैं तरुण कुमार के प्रति आभारी हूं जिन्होंने काफी कम समय में अंग्रेजी रिपोर्ट के कई हिस्सों का अनुवाद किया। मैं श्रीश मिश्रा की भी आभारी हूं जिन्होंने हिंदी रिपोर्ट का संपादन किया।

मैं तहेदिल से सराहना करती हूं विशेष कार्य बल के सदस्यों श्री आर यू सिंह, श्री आर.सी चौधरी, डॉ. अमरकांत सिंह, श्रीमती मिराई चटर्जी, श्रीमती रत्ना सुदर्शन, डॉ. संजय कुमार, डॉ. अलख शर्मा और डॉ. डी एम दिवाकर की जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से इस रिपोर्ट को विशद और बोधगम्य बनाया। इन्होंने रिपोर्ट के महत्वपूर्ण हिस्सों को लिखा है। यही नहीं, इस प्रयास को सफल बनाने में सहर्ष अपना समय व ऊर्जा लगाई है व मार्गदर्शन किया है। मैं खासतौर से आभारी हूं श्री आर यू सिंह के प्रति जो इस रिपोर्ट के शुरू से आखिर तक हमारा सहारा व प्रेरणा बने रहे। रत्ना सुदर्शन के प्रति महिलाओं के मुद्दों पर विशेषज्ञता और इस रिपोर्ट के सह–लेखन के लिए, डॉ अलख शर्मा के प्रति उनकी गहरी जानकारी और आईएचडी के शोध को हमारे साथ साझा करने के लिए, श्रीमती मिराई चटर्जी के प्रति जिन्होंने स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक तत्वों की अवधारणा दी और स्वास्थ्य संबंधी सभी खंडों को लिखा, सरकार के साथ संपर्क और श्रम संबंधी मामलों के बारे में उनकी जानकारी के लिए श्री आर सी चौधरी और डॉ. अमरकांत सिंह के प्रति, ए.एन.सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान की सुविधाएं हमें उपलब्ध कराने के लिए डॉ. दिवाकर के प्रति और अंततः डॉ. संजय कुमार के प्रति जिन्होंने पूरी प्रक्रिया का दायित्व लिया और पूरे उत्साह व कौशल के साथ काम को आगे बढ़ाया।

मैं दिल से शुक्रगुजार हूं डेविड एंड लुसिल पैकर्ड फाउंडेशन की जिसके वित्तीय सहयोग के बिना यह अध्ययन संभव नहीं था। मैं खासतौर से यह बताना चाहूंगी कि फाउंडेशन के सहयोग की वजह से हम स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक तत्वों को रेखांकित कर सके और नीतिगत सिफारिशों के साथ यह रिपोर्ट तैयार कर सके। इस फाउंडेशन की टीम के सदस्यों लेस्टर कॉतिन्हो, पूर्व राष्ट्रीय निदेशक चंद्रशेखर, अनुपम शुक्ला और मोनिका ने भी काफी सहयोग किया और हम उनके धैर्य और सहयोग की सराहना करते हैं।

अंत में, मैं उन सभी महिलाओं की प्रशंसा करती हूं और उनको हार्दिक धन्यवाद देती हूं जिन्होंने अपने अनुभव और उम्मीदें खुले दिल से हमारे साथ साझा कीं। मैं आशा करती हूं कि यह रिपोर्ट उनके जीवन में नया उत्साह भरने का काम करेगी।

रेनाना झाबवाला
अध्यक्ष
बिहार में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं पर विशेष कार्य बल

सेवा भारत

7/5, पहली मंजिल, दक्षिण पटेल नगर, नई दिल्ली 110 008, भारत
दूरभाष-फैक्स : 011 25841369, 25840937
ई मेल : mail@sewabharat.org

www.sewabharat.org

writemed@gmail.com